न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू–अर्जन प्र.क. 46 /अ–82/2014–15
ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 38
तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़(छ.ग.)

महाप्रबंधक,
एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.) — आवेदक.

विरूध्द

1 अहिल्या पिता पलउ जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी
2 अविनाश सिंह पि. गांडासिंह सुविलाश सिंह पि गांडासिंह जाति गोंड सा.दानसरा सारंगढ
3 अहिल्या पति वल्लभ सिंह जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
4 उग्रसेन पिता अकुर सुरेशन पिता अकुर जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
5 कुमार पिता सहदेव, कल्पना बेवा बीसी, ना बा संदीप पिता बीसी पा मा कल्पना पति बीसी, सरिता, सचिता, सपना पि बीसी जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी
6 कीर्तन पिता शत्रुघन जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
7 खेदू पिता घसिया जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
8 नाबा खेलकुमार पि. मोतीराम पालक पि. मोतीराम पि. गोपीराम सा.देह भूमि स्वामी
9 गोवर्धन पिता विद्याधर जाति धोबी सा देह भूमि स्वामी
10 छेलिया .नेत्रानंद पिता विश्वेश्वर जाति कोलता सा. देह भूमि स्वामी
11 जनकराम पिता जेठू जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी
12 जवाहर पिता गोरेख नाबा शत्रुघन पि नेहरू पालक बडी बहन सुकृता पिता नेहरू, सुकृता पिता नेहरू,, लक्ष्मी, पिता नेहरू, शांति पिता गोरेख जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
13 जगतराम पिता धनेश्वर जगदीश पि धनेश्वर जाति कंवर सा.देह भूमि स्वामी
14 टीकाराम पिता सुखराम जाति अघरिया धनांगर भूमि स्वामी
15 डिलेश्वर पिता विष्णु जाति केंवट सा.देह भूमि स्वामी
16 डिलेश्वर पिता नरसिंह किशन पि नरसिंह बुधनी बेवा नरसिंह जाति भूईया सा.देह भूमि स्वामी
17 दाताराम पिता लेखराम, ना.बा. मोहन, ना.बा. घृति पिता गनपत पा.मा. भोजकुमारी बेवा गनपत भोजकुमारी बेवा गनपत जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
18 नारायण पिता हीराधर जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
19 नानकुन पिता डोकरीराम जाति कंवर सा. देह भूमि स्वामी
20 पदमावती पति सार्तिक जाति गोंड़ सा. देह भूमि स्वामी
21 पुरूषोत्तम पिता दीवान जाति कंवर सा.देह भूमि स्वामी
22 पंडित,साहेबराम पिता हरिधर,नीलावती, बेवा भारत जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
23 पार्वती प्रधान पति श्यामाचरण जाति कोलता सा. चिटकाकानी भूमि स्वामी
24 बासुदेव पिता अनादी जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी
25 बहादुर व. विष्णु जाति केंवट सा.देह भूमि स्वामी
26 बुलउराम पि. दुखुराम जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
27 प्रेमसागर, दिव्या, बसंती पिता बहादुर संध्या बेवा बहादुर बुधियारीन पिता लालमणी जाति गांड़ा सा. देह भूमिस्वामी
28 बुधनी पति नरसिंह जाति भूईया सा0देह भूमि स्वामी
29 भूजबल पिता सुखदेव जाति रावत सा.देह भूमि स्वामी
30 महेश वल्द उदेराम जाति अघरिया सा0 देह भूमि स्वामी

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

31 मेघु पिता हरिहर, केशबो,गणेश, गुरूबारी पिता मंगलू जाति सौंरा सा.देह भूमि स्वामी
32 महेशराम भगतराम पि. टीकाराम दाताराम, पिता लेखराम ना.बा. मोहन , ना.बा. घृति पिता गनपत पा.मा. भोजकुमारी बेवा गनपत, भोजकुमारी बेवा गनपत जाति अघरिया सा0देह भूमि स्वामी
33 रॉयल बिल्डर्स एण्ड कंपनी की ओर से भागीदार मनीष पिता रमेश अग्रवाल
34 राजेश उर्फ धरमसिंह पिता गोपीराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
35 रामरतन पिता कोमल प्रसाद जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
36 पंडितराम पिता हरिधर जाति अघरिया सा.देह भूमिस्वामी
37 बरतराम, सनतकुमार, कस्तुरी, तुलावती, सावित्री, दशोदा, महिमा पिता लोचन, रथकुँवर बेवा लोचन जाति गाड़ा सा देह भूमि स्वामी
38 लुद्रो प्रसाद,जयंति,पिता डिलेश्वर, पुरूषोतम पिता तेजराम जाति भूईया सा. देह भूमि स्वामी
39 सहदेव पिता सखाराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
40 सफेद पति बोधराम जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
41 सुखमेत पति सहदेव जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
42 नाबा राकेश पि सुखलाल सीमा,रेशमा पिता सुखलाल नाबा निशा पि. सुखलाल पालक बडी बहन सीमा पि. सुखलाल जज्ञ पिता दुर्लभ सिंह जाति कंवर सा.देह भूमि स्वामी
43 फागुलाल,रघुवीर, सुभाषिनी पि अलेख, गोसाई, जोगीराम पिता भागीरथी, नबादाई पति सन्यासी, उरकुली, गरूवारी,शेषो पिता भागीरथी, रूपधर पिता श्रीराम मनोहर उर्फ जलन्धर,हलधर, सत्यभामा, पदमा, पि युधिष्टिर जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
44 अवधूत, भोगीलाल पि.बैरंग गुरूवारी बेवा तेजराम, सविता कौशिल्या पिता तेजराम जाति कँवर सा. देह भूमि स्वामी
45 आनंद पिता रामनाथ जाति कंवर सा.देह भूमि स्वामी
46 कृपाराम पिता संतराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
47 गोपीराम पिता कृपाराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
48 गोपीराम पिता जनकराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
49 घनश्याम पिता दयाराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
50 चंद्रमणी बेवा डिलेश्वर रजनी,रश्मि,रिषभ पिता डिलेश्वर, रोहित, पिताम्बर,पुरूषोत्तम, सतीश, विष्णु, श्रद्धा ,प्रभा पिता रामहरि जाति ब्राम्हण सा.देह भूमि स्वामी
51 भगवति पति जोतराम,नरेन्द्र,माधुरी कुमारी गीता,पिता जोतराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
52 जीवर्धन पिता सहदेव जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
53 टीकाराम पिता जनकराम जाति अघरिया सा0 देह भूमिस्वामी
54 तोषराम पिता गौरांगो जाति भुईया सा देह भूमि स्वामी
55 दिनेश पिता गंगाराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
56 पदमन,माधव, तोषमती,बिजली, पिता साहेबो जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
57 भगतराम पिता टिकाराम ना.बा. मोहन , ना.बा. घृति पिता गनपत पा.मा. भोजकुमारी बेवा गनपत, भोजकुमारी बेवा गनपत जाति अघरिया सा0देह भूमि स्वामी
58 नारायण, हरिचरण, पि. महेशराम,नरमति, श्रीमति पि.महेशराम, फूलमति बे. महेशराम,मटारो,फूलमति, सहोद्रा, पि. बुडुँग,रायमति बेवा बुडुँग जाति कँवर सा. देह भूमि स्वामी
59 मोतीराम पिता गोपीराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
60 मंगलप्रसाद पिता दयाराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
61 राधेश्याम पिता पुरूषोत्तम जाति अघरिया सा देह भूमि स्वामी
62 रामलाल पिता ललितराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
63 लेखराम पिता जनकराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
64 सावित्री बेंवा टीकाराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

65 हरिश्चंद,शशिभुषण निरंजन, सुभाषिनी पिता सदानंद,जमुना बेवा सदानंद भुजबल पिता जनकराम जाति कँवर सा.देह भूमि स्वामी
66 साधुराम, फुलजुही पिता धोबाराम जाति कोलता सा देह भूमि स्वाामी
67 हिराराम पिता ललितराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
68 गणेश, दिनेश पिता बुडूराम, दुरपति बेवा बुडूराम जाति भूईया सा.देह भूमि स्वामी
69 महरू, जहरू, भोट पिता लोकेश्वर जाति भुईंया सा देह भूमि स्वामी
70 त्रिलोचन, पिता लुकेश्वर, चन्द्रमा पिता लुकेश्वर जाति भुईया सा देह भूमि स्वामी
71 गोदलो, उदेराम, पिता भुरू मिलाप पिता किरीत जाति गांडा सा.देह भूमि स्वामी
72 टिकम कुमार पिता डिग्रीलाल जाति ब्राम्हण सा.देह भूमि स्वामी
73 जगतराम पिता धनेश्वर जाति कंवर सा.देह भूमि स्वामी------ अनावेदकगण.

अवार्ड आदेश

(दिनांक 08-03-2017)

यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र- REF No 5073/TLCMP/pvt/12/08/15 जुर्डा दिनांक 06.8.2015 के अनुसार ग्राम-जुर्डा प.ह.नं. 38 रा.नि.मं. व तह.-रायगढ़ जिला रायगढ़ के निजी भूमि कुल ख.नं. 128 कुल रकबा 15.841 हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

(1) उपरोक्त भू-अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पत्र कमांक 3062/ राजस्व/ भू-अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :-

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. भासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि शेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू-अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईंस ताप विद्युत परियोजना के कियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जावे।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।

11. नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2) उपरोक्त अनुक्रम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम जुर्डा के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.भाासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुकम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :-

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :-

खसरा नं.	रकबा (हे0) में	खसरा नं.	रकबा (हे0) में	खसरा नं.	रकबा (हे0) में	खसरा नं.	रकबा (हे0) में
295/2	0.069	24/1	0.053	94	0.004	350/6	0.202
326/16	0.089	293/9	0.081	73/1	0.146	68/1	0.066
77/2	0.106	25/1	0.020	78/3	0.231	341/2	0.259
250/3	0.145	253/4	0.020	78/9	0.146	344/1	0.012
293/3क, 293/8क	0.300	568/1	0.008	73/2	0.125	347/1	0.085
	0.075	260	0.121	78/5	0.967	293/8 ग	0.032
326/5	0.214	18	0.182	64/2	0.121	106/5 क	0.029
293/7	0.101	51	0.040	58/4	0.133	99/7	0.142
324/2	0.101	51	0.020	568/4	0.016	66/4	0.040
63/4	0.255	52	0.287	79	0.232	66/6	0.028
60	0.073	53	0.040	566/2	0.126	253/5	0.020
	0.049	58/1	0.008	68/7	0.024	568/2	0.008
326/9	0.154	564/12	0.065	567	0.028	78/11	0.142
31/22	0.305	564/13	0.069	106/1	0.323	78/6	0.069
	0.178	564/14	0.069	65/4	0.036	326/3	0.344
31/24	0.024	564/3	0.065	65/8	0.010	106/4	0.032
293/1	0.305	573/3	0.061	66/5	0.040	253/1	0.263
31/7	0.226	573/6	0.061	66/7	0.028	327/2	0.008
166/1, 167/1	0.243	573/7	0.061	253/6	0.020	326/7	0.121
		573/8	0.061	350/4	0.053	95/2	0.154
106/5ग	0.040	573/9	0.061	568/3	0.004	105/1	0.028
17/4	0.081	17/5	0.121	574/2	0.036	17/7	0.303
61/1	0.081	82/1	0.898	64/1	0.170	295/4	0.061
96/1	0.028	106/5 ख	0.040	326/17	0.097	300	0.069
17/2	0.405	130	0.323	34/5	0.004	54/1	0.024
	0.202	295/5	0.032	69/7, 69/8, 69/10	0.108	54/2	0.020
256/2	0.145	324/5	0.105	76/1	0.243	54/3	0.020
61/4	0.081	259/1	0.060	248/2	0.162	54/4	0.065

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

35/4क	0.202	349/2	0.089	50	0.243	47	0.129
166/2, 167/2	0.028	56	0.360	68/3	0.008	253/7	0.109
129/2	0.008	57	0.024	69/11	0.065	17/3	0.061
96/2	0.243	252/2	0.020	69/4	0.065	74/2	0.040
326/6	0.214	78/8	0.312	69/9	0.065	77/1	0.053
326/8	0.117	78/4	0.081	59/2	0.012	343/2	0.012
104	0.243	योग – कुल ख.नं. 132 कुल रकबा 16.189 हे.					

अधिनियम की धारा–11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है:–

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 2/10/15 भाग–एक पृ.क. 1522
2. स्थानीय समाचार पत्र रायगढ़ संदेश दिनांक 18/10/2015
3. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमि दिनांक 18/10/2015
4. ग्राम जुर्डा में मुनादी के माध्यम से दिनांक 08/11/2015

(3) प्रकरण में अधिनियम की धारा–11(1) के अधिसूचना प्रकाशन पश्चात् आपत्तिकर्ता श्री नरायण साहू पिता श्री हीराधर साहू निवासी ग्राम पंचायत जुर्डा तहसील व जिला रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां में एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु भू–अर्जन के तहत खसरा नं. 17/2 कुल रकबा 1.214 हे. जिसमे से 0.607 हे.भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है, चूंकी भूमि अर्जन इस प्रकार से किया जा रहा है कि शेष भूमि 0.607 हे. रेललाईन के दोनो ओर विभाजित हो जाती है जिससे इसकी उपयुक्त कृषि करने के लिए समाप्त हो जाती है।उक्त समस्या का समाधान करने के लिए भूमि स्थल का जांच निरिक्षण कर सम्पूर्ण भूमि का अर्जन करना प्रस्तावित करें तथा उसमे स्थित समस्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित करने की कृपा करें।

प्रकरण में अधिनियम की धारा–11 (1)का आपत्ति के संबंध में महाप्रबंधक, एनटीपीसी लि. तिलाईपाली से जवाब प्राप्त। तहसीलदार, रायगढ़ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार महाप्रबंधक, एनटीपीसी लि. तिलाईपाली एवं तहसीलदार, रायगढ़ से संयुक्त पुनर्वास प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। दावा/आपत्ति के संबध में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आपत्तिवार विवरण निम्नानुसार है:–

1– आपत्तिकर्ता नारायण आ.0 हीराधर साहू ग्राम जुर्डा द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं. 17/2 रकब1.214 हे. भूमि में से 0.607 हे. भूमि का अर्जन इस प्रकार से किया जा रहा है कि शेष भूमि का कृषि कार्य के लिए उपयुक्तता समाप्त हो जाती है। इसके समाधान के लिये स्थल जांच कर संपूर्ण भूमि का अर्जन कर उप पर स्थित समस्त सम्पतियों का मुल्यांकन किया जावे। एनटीपीसी रेल लाईन हेतु ख.नं. 17/2 रकबा 1.214हे. में से 0.607 हे. भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि प्रभावित क्षेत्र से बाहर है, तथा प्रस्तावित रकबे से अधिक का अर्जन किया जाना संभव नहीं है।

2– आपत्तिकर्ता मोतीराम आ. गोपीराम अघरिया सा. जुर्डा द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं.350/6, 253/7, 58/4,64/2 एवं 60 से कुछ रकबे का अर्जन किया जा रहा है जिससे शेष चारों तरफ से रेल लाईन से घीर जाने के कारण खेती योग्य नहीं रह जायेगी, इस कारण पूर्ण रकबे का अर्जन किया जावे। आवेदक के पिता गोपीराम के स्वामित्व व कब्जे की अर्जन की जा रही ख.नं.

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

343/9 वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में त्रुटिवश लुप्त हो गया है, इस संबंध में प्रकरण तहसीलदार, रायगढ़ के समक्ष लंबित है इसके अर्जन की कार्यवाही मालिकराम आ. जनकराम के नाम पर किया जा रहा है। एनटीपीसी लि. तिलाईपाली द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार रेल्वे लाईन से प्रभावित हो रहे मार्गो पर पुल बना कर दोनो तरफ अवागमन सुचारू रखा जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित रकबा से अधिक का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।

आपत्तिकर्ता द्वारा उल्लेखित खसरा नं. 343/9 भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित नहीं है, और न ही अधिनियम की धारा-11 की अधिसूचना में शामिल है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013व केन्द्र सरकार के अध्यादेश दिनांक 31-12-2014 के अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली कोल माइंस परियोजना द्वारा प्रस्तावित तथा आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित तलाईपाली कोल माईन्स की रेल परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का ग्राम में प्रकाशन दिनांक 07.11.2015 को कराया गया है।

4- महाप्रबधक, एनटीपीसी लिमि. तलाईपाली के पत्र कमांक 5073/तलाईपाली/एमजीआर/सेवा भूमि /04/16 दिनांक 22.4.2016 के साथ ग्रामवार सेवा भूमि की सूची संलग्न कर निवेदन किया है कि ग्राम जुर्डा की सेवा भूमि ख.नं.104 को अधिनियम की धारा 19 की कार्यवाही से पृथक किया जावे। खसरा नम्बर 104 को अधिनियम की धारा 19 की कार्यवाही से पृथक करते हुए शेष कुल खसरा नं.132 कुल रकबा 15.946 हे. भूमि का प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की घोशणा के प्रकाशन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया:-

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 भाग-1 पृ.क्र. 999,1000
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. जनकर्म में दिंनाक. 11.5.2016
   2. नईदुनिया में दिंनाक. 12.05.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 23.05.2016

प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 की घोशणा के प्रकाशन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नही हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा-21 की सूचना दिनांक 20.5.2016 को जारी कर भू- स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। कुछ भू-स्वामिमियों के निवेदन पर धारा 21 के अंतर्गत सुनवाई हेतु उचित अवसर देते हुए दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7.2016 तक बढ़ाई गई। तथा प्राप्त दावा/आपत्तियों के संबंध में तहसीलदार, रायगढ़ एवं आवेदक निकाय से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है :-

1 आपत्तिकर्ता श्री मोतीराम पिता गोपीराम जाति अघरिया ग्राम जुर्डा तहस.व जिला रायगढ़ का निवासी हूँ भूमि ख.नं. 253/7 रकबा 0.109 हे तथा 350/6 रकबा 0.202 हे का भू-अर्जन औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया गया है। उक्त दर्शित भूमि की रकबा अधिक है और शेष बचत भूमि भू-अर्जन न होने के अयोग्य हो जावेगी जिससे आवेदक को आर्थिक क्षति होगी ऐसी स्थिति में दर्शित रकबा की संपूर्ण भूमि को भू-अर्जन किया जाना उचित है उक्त भूमि का मुआवजा राशि अत्यंत कम किया गया है जबकि ग्राम कोतरलिया चिटकाकानी पंडरीपानी की भूमि का मुआवजा अधिक निर्धारित किया गया है ऐसी स्थिति में आर्थिक क्षति हो रही है। अतः

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

निवेदन है कि उक्त संबंध में आवेदन स्वीकार कर उचित मुआवजा राशि सम्पूर्ण खसरा नंबर की भूमि का निर्धारित कर मुआवजा प्रदान की जावे अन्यथा आपत्ति स्वीकार करने की कृपा करे।

संयुक्त स्थल जांच में प्रतिवेदित कियागया है कि आवेदक के स्वामित्व की ग्राम जुर्डा स्थित भूमि खसरा नं. 253/7 रकबा 0.506 हे. में से 0.109 हे. 350/6 रकबा 0.267 में से रकबा 0.202 हे. भूमि को आव यकतानुसार भूमि को अधिग्रहित की जा रही है। के अतिरिक्त भूमि का भू अर्जन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि की मुआवजा वर्तमान गाइड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मूल्यकान किया गया है।

2. आपत्तिकर्ता ना.बा. खेलकुमार वास्ते पिता श्री मोतीराम जाति अघरिया ग्राम जुर्डा भूमि ख.नं. 59/2 रकबा 0.012 हे 0.073 हे तथा खसरा 60 रकबा 0.049 हे स्थित है जिसे औद्योगी प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन किया गया है । दर्शित भूमि खसरा नं. 60 रकबा 0.049 हे. स्थित वृक्ष की सूची दर्ज नही किया गया है। जब कि भूमि पर केकट 1 नग डुमर 1 नग परसा 2 नग उक्त भूमि खसरा नं. 60 चारो ओर से रेलवे लाइन से घिर जा रही है। शेष बचत रकबा कृषि योग्य नही रह जाईगी। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण भूमि का अर्जन किया जावे, अथवा आवा–गमन हेतु स्थिाई से रास्त आवेदक को प्रदान किया जावे। उक्त दर्शित भूमि का मुआवजा राशि निर्धारण ग्राम कोतरलिया चिटकाकानी पंडरीपानी ग्राम की भूमि से कम किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम जुर्डा की भूमि का मूल्यांकन कर भू–अर्जन निर्धारित किया जावें।

संयुक्त स्थल जांच मे आपत्तिकर्ता के भूमि खसरा नं. 59/2 रकबा 0.012 हे.भूमि भू–अर्जन में प्रभावित नही हो रहा है तथा प्रभावित खसरा नं. 60 से रकबा 0.073 हे. एवं 0.049 हे. भूमि पर स्थित वृक्ष केकट 1 नग डुमर 1 नग परसा 2 नग एवं अर्जित की जा रही भूमि का मुल्यांकन वर्ष 2015–16 के गाईट लाईन के अनुसार निर्धारित दर पर मुआवजा का निर्धारण किया गया है। अधिनियम की धारा 93 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

3 श्री उग्रसेन पिता अंकुर सुरेशन पिता अंकुर जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी खसरा नं. 293/8 रकबा 0.375 हे.खसरा नं. 293/3 रकबा 0.375 हे भूमि अर्जन में जा रहा है। यह की उक्त भूमि पर पेड 7 महुआ पेड है तथा 1 कुआं स्थित है, उचित मुआवजा निर्धारित करें।

सयुक्त स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि खसरा नं. 293/3 क एवं293/8क कुल रकबा 0.429 हे. भूमि मे से रकबा 0.375 हे. भूमि पर 18 नग मौहा, 2 नग बीजा, 1 नग तेंदु , 2 नग निम्बु 2 नग सीताफल 1 नग बेहरा 1 नग साजा 1 नग धावड़ा 3 नग चार एवं 1 नग अन्य, वृक्ष 1 कुऑ भी स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है।

4 आपत्तिकर्ता उपासी पिता सोनूराम वास्ते जोगीराम राठिया जाति कंवर सा. देह भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में भूमि स्वामी हक की भूमि कुल खसरा नं. 16 कुल रकबा 1.410 हे. भूमि स्थित है जिसमें से खसरा नं. 78/4 रकबा 0.081 हे. लिया जा रहा है।1. यह कि आवेदक यह कि उक्त भूमि दो फसली है तथा प्रेषित आवेदन पत्र की कालम में वृक्षों की संख्या गलत दर्शायी गई है। जबकि उक्त भूमि पर 9 पेड़ महुआ, 1 पेड़ परसा स्थित है। जिस पर किसी प्रकार का मुआवजा राशि निर्धारण नही किया गया है। यह कि उक्त भूमि दो फसली होने से अधिग्रहण में चले जाने से कृषि से बाधित होगी तथा आर्थिक क्षति उत्पन्न होगी।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

सयुक्त स्थल जांच में आवेदित भूमि ख.नं. 78/4 रकबा 0.081 हे. भूमि कृषक के कब्जा कास्त एवं अभिलेख के अनुसार उक्त भूमि रेल लाईन भू अर्जन में प्रभावित नहीं हो रहा है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा 93 की कार्यवाही की जा रही है।

5 खेदू पिता घसिया जाति गोंड के नाम से भूमि खसरा नं. 63/4 रकबा 0.255 हे. का तैयार किया गया है। आवेदक का उपरोक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू अर्जन किया गया है जिसमें वृक्षों की सूची में निरंक अंकित किया गया है। जबकी उक्त भूमि में मौहा 13 चार 12 कुम्हारी 1 सेमर 1 फरसा 9 जिसे वृक्षों की सूची में दर्ज किया जाये।उक्त भूमि के चारों भाग में भूमि छुट जा रही है जो अनुपयोग कृषक की हो जावेगी ऐसी स्थिती में चारो कोना में रिक्त भूमि को भू अर्जन में जोड़ा जावे ताकी कृषक आर्थिक क्षति से बच सके ग्राम कोतरलिया,चिटकाकानी,पंडरीपानी के आधार पर ग्राम जर्डा स्थित भूमि को प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

संयुक्त स्थल जांच में मौके पर खसरा 63/4 रकबा 0.255 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 12 नग मौहा, 12 नग चार, 18 नग पलास, 3 नग कुम्ही , एवं 1 नग सेम्हर वृक्ष स्थित होना पाया गया है। भूमि एवं भूमि पर स्थित वृक्षों का भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

6 छेलिया .नेत्रानंद पिता विश्वेश्वर जाति कोलता सा. देह भूमि स्वामी उक्त भूमि से हमारे परिवार आश्रित है, हमारे परिवार का भरण पोषण का मुख्य आधार हमारी जमीन है। आपके द्वारा जारी किये गये नोटिस के अनुसार हमारे भूमि का खसरा क 31/22 रकबा 0.483 एव क. 31/24 रकबा 0.024 कुल रकबा 0. 507 का अधिग्रण किया जा रहा है। उक्त भूमि की मुआवजा राशि का आंकलन वर्तमान में भू अर्जन की धारा 26 के अनुसार किया जा रहा है। जो कि बहुत ही कम है हमारे पडोसी ग्रामों के जमीनों के आकलन की अपेक्षा बहुत ही कम है। कृपया उचित मुआवजा देनें कि कृपा करे।

सयुक्त स्थल जांच में प्रतिवेदित किया गया है कि खसरा क 31/22 रकबा 0.483 एव क. 31/24 रकबा 0.024 कुल रकबा 0.507 का अधिग्राहित भूमि का भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

7 लेखराम पिता जनकराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी यह कि अनावेदक के स्वमित्व की भूमि ख. नं. 99/7 रकबा 0.142 हे0 भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किये जाने का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित खतेदार को अपने हित अधिकारी राशि भूमि पर अधिकार के फलस्वरूप मुआवजा में हित संबंधी दावे तथा भूमि के परिमाप / नस्ती संबंध अथवा आपत्ति मय अभिलेखों दस्तावेजो प्रमाणों के साथ 27.06.2016 को न्यायालय भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रदाय किया गया है। यह कि अनावेदक के उपरोक्त उल्लेखित खं. नं. के कुछ भागों पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है, अनावेदक का एक मात्र आय का जरिया कृषि पर ही अपने परिवार का जीवन यापन करते है। इस कारण उपरोक्त उल्लेखित ख नं. के शेष भूमि पर कृषि कार्य कर पाना संभव नही है उपरोक्त सभी बचे भूमि का भू अर्जन कर मुआवजा राशि देना न्यायोचित होगा। अनावेदक को अपने भूमि का मुआवजा ग्राम जुर्डा के आसपास स्थित ग्रामों के मुआवजा अनुसार दिया जावे। यह कि अनावेदक के उपरोक्त वृक्षों को छोडकर और अनेक छोटे छोटे वृक्ष मौजूद है इनका भी जांच कर मुआवजा राशि प्रदान कि जावे।

यह की अनावेदक के उपरोक्त उल्लेखित भूमियों में 1 नग शीशम, 1 नग सेम्हर 1 नग सरसिंवा 2नग पलास 1 नग मुण्डी 1 नग केकट पेड़ों का हीं उल्लेख है। परन्तु पभावित स्थानों पर छोटी छोटी अनेकों वृक्ष है उनका कोई भी आंकलन नहीं किया गया है। जिसका जॉच किया जाकर समूचित मुआवजा राशि अनावेदक को भूगतान किया जाना न्यायोचित होगा।

स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि खसरा नं. 99/7 रकबा 0.425 हे. में से 0.142 हे. भूमि पर 1 नग शीशम, 1 नग सेम्हर 1 नग सरसिंवा 2नग पलास 1 नग मुण्ड़ी 1 नग केकट वृक्ष स्थित

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

होना पाया गया है। उक्त भूमि एवं पेडों का मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है। उक्त भूमि के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है।

8 लुद्रो प्रसाद, जयन्ति, वगैरह निवासी ग्राम जुर्डा प. ह. नं. 38 कुल खसरा नं. 07 रकबा 1.304 हे. भूमि में खसरा नं. 259/1 रकबा 0.060 हे. भूमि अधिग्रहण में जा रहा है। यह की आवेदक का एक एकड़ चौदह डिसमील है जिससे अनावेदक संतुष्ट नहीं है।

संयुक्त स्थल जांच में आपत्तिकर्ता का खसरा नं. 259/1 रकबा 0.223 हे. में से 0.060 हे. भूमि अधिग्राहित की जा रही है। के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है।

9 नारायण पिता हीराधर जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी यह कि एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु भू–अर्जन के तहत खसरा नं. 17/2 कुल रकबा 1.214 हे. जिसमे से 0.607 हे. भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है, चूंकी भूमि अर्जन इस प्रकार से किया जा रहा है कि शेष भूमि 0.607 हे. रेल लाईन के दोनो ओर विभाजित हो जाती है जिससे इसकी उपयुक्ता कृषि करने के लिए समाप्त हो जाती है। उक्त समस्या का समाधान करने के लिए भूमि स्थल का जांच निरिक्षण कर सम्पूर्ण भूमि का अर्जन करना प्रस्तावित करें तथा उसमे स्थित समस्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित करने की कृपा करें अधिग्रहित भूमि रोड से लगा हुआ है, इसे ध्यान रखकर मुआवजे कि रकम तय कि जाये।चूकि भूमि में दो अलग अलग रेल लाईन बिछाई जा रही है, अतः दोनों लाइनों के मध्य शेष जमीन का तो अधिग्रहण कर लिया जाये या उतनी ही क्षेत्रफल की भूमि उस ओर प्रदान किया जाय जहां अधिकतम अप्रभावित भूमि शेष बच रही है। ताकि एकमुस्त जमीन पर किसान को खेती करनें मे कोई असुविधा न हो और भविष्य में भूमि मूल्य कम ना हो।उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि ग्राम जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है। (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि का बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिध्दांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बता दे कि ग्राम का भूमि आसपास के सभी ग्रामों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। यहां अन्य गांवो कि अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रही हैइसकी पुष्टि आप कृषि विभाग एवं मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आसपास जुडे हुए ग्राम पंचायत है किन्तु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है। वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी रेल्वे लाइन जा रही है, जिसके भू अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू अर्जन का मुआवजा दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है। अतः आपसे करबध्द आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमे संशोधन कर उचित मूल्य निर्धारण करने की कृपा करें।

(9)1. भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(9)2. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू – अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

(9)3. यह कि उक्त प्रतावित भू–अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रक्रियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामान्तरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साक्ष्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेश हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाशन पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू–अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाशन कराया गया जो न्याय संगत नहीं है।

(9)4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(9)5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

(9)6. यह कि धारा 4 (1) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 38 तह.व जिला रायगढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/12/2013 को प्रकाशन कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. /रकबा हे0 कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू–अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (Leps) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

(9)7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

(9)8. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

(9)9. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(9)10. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– विकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

(9)11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जवकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जवकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

(9)12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

(9)13. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी1. एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु भू–अर्जन के तहत खसरा नं. 17/2 कुल रकबा 1.214 हे. जिसमे से 0.607 हे.भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है, के अतिरिक्त भूमि का भू अर्जन किये जाने की आवश्यकता नहीं, तथा प्रस्तावित रेल लाईन से तीनो ओर से घिरी भूमि का पृथक से पूरक प्रकरण तैयार किया जा रहा है।

संयुक्त स्थल जांच में प्रतिवेदित किया गया है कि आपत्तिकर्ता के बिन्दु कमांक 1 से 13 तक निम्न हैः–

(9)1. भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन दिनांक 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

(9)2. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र –दिनांक 2/10/2015
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – दिनांक 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र रायगढ़ संदेश दिनांक 18/10/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमी दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/11/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

(9) 3. ग्राम जुर्डा तह. रायगढ़ अंतर्गत है एवं आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत कोई भी आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ को नियत समय सीमा में प्राप्त नही हुई थी।

(9)4. भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

(9)5. नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित की जा चुकी है। ग्राम जुर्डा में प्रारंभिक अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 30.10.15 के अनुसार 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई थी।

(9)6. ग्राम जुर्डा के पूर्व में रेल लाईन किसी प्रकार का भू–अर्जन की कार्यवाही नही हुई है। आपत्तिकर्ता द्वारा की गई आपत्ति अपूर्ण एवं असत्य है।

(9)7. कमिश्नर बिलासपुर, संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना का सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है। इसका उल्लेख धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी किया गया है।

(9)8. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.2016 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई। इस प्रकार भू–अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

(9)9 . अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

(9)10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरुस्त कर कार्यवाही की जा रही है।

(9)11. दिनांक 02.7.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

एवं विधायक महोदय, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.7.2016 को बैठक के बिंदुओं की प्रति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी है।

(9)12 भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

(9)13. प्रकरण में नियमानुसार अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण पश्चात प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी कर सुना गया है।

10 आपत्तिकर्ता नारायण साहू पिता हीराधर साहू निवासी जुर्डा द्वारा अधिग्रहित भूमि खसरा नं. 17/2 भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके संबंध में निम्नलिखित दावा आपत्तियां निम्नानुसार है :–

1. अधिग्रहित भूमि रोड से लगा हुआ है इसे ध्यान रखकर मुआवजे के रकम तय की जाय।

2. चूकि भूमि में दो अलग अलग रे लाइन बिछाई जा रही है अतः दोनो लाइनों के मध्य शेश्ष जमीन का या तो अधिग्रहण कर लिया जाय या उतनी ही क्षेत्रफल की भूमि उस ओर प्रदान की जाय जहां अधिकतम अप्रभावित भूमि शेष बच रही है तकि एक मुस्त जमीन पर किसान को खेती करने में काई असुविधा न हो और भविष्य में भूमि का मूल्य भी कम ना हो।

3. अधिग्रहित भूमि बोर से सिंचित है जिसमें स्थित सम्पत्तियों बोर ,कुआ, वृक्षो की संख्या निम्न है– संख्या मे संसोधन की आवश्यकता है, सम्पत्तियों की सूची निम्न है। महुआ 64, चार 5, बेहरा 4, कोसम 1, केउ 1, साजा 2, कसही 1, (कुल 85 पेड़)बोर 5 एचपी., पक्का कुआं 1, ग्राम जुर्डा के जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य अत्यधिक कम है। बाजार मूल्य निकट गांव में स्थित समान प्रकार के जमीन के मूल्य के बराबर किया जाये। अधिग्रहित भूमि के अलावा मेरे नाम में और कोई जमीन नही है। जिसमें 4 सदस्यों का जीवन व्यापन हो रहा है, अतः मेरे परिवार के कम से कम 1 सदस्य को योग्यता के अनुरुप नौकरी प्रदान करनें की कृपा करे।

संयुक्त स्थल जांच मे आपत्तिकार्ता के बिन्दु क. 1 से 5 तक का मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि खसरा नं. 17/2 रकबा 1.214 हे भूमि मे से रकबा 0.607 हे में पर 39 नग मौहा, 6 नग चार, 3 नग बेहरा , 4 नग पलास, एवं 3 नग नीम वृक्ष तथा 3 एच. पी. बोर 1, एवं पक्का कुआं 1 भी स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है। एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार हेतु पुर्नवास नीति कमिश्नर बिलासपुर के द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित योजना के अनुसार प्रभावित परिवारों को वार्षिकी का प्रावधान किया गया है, जो कि रोजगार के स्थान पर होगा।उक्त भूमि मुख्य सड़क से लगकर स्थित नहीं है।

11 पंडितराम पटेल ग्राम जुर्डा निवेदन है कि पार्वती वगैरह ग्राम जुर्डा के हक अधिकार में भूमि ख. नं. 129/2 रकबा 0.008 के नाम से स्थित है जिसे औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू अर्जन किया गया है उक्त दर्शित भूमि में वृक्षो कि गणना नही हुआ है जबकि वृक्ष की संख्या 2 मौहा, सेमर 2 नग, केकट 1 नग वृक्ष है। पार्वती का स्वर्गवास हो चुका है। जिस कारण मुआवजा पत्रक सूची में पार्वती का नाम काटा जाकर पंडित, राहेबराम पिता हरिहर, नीलसवती पिता भारत, राजकुमार के नाम से मुआवजा निर्धारण

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

किया जाना उचितहै। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम कोतरलिया, चिटकाकानी, पंडरीपानी के आधार पर ग्राम जर्डा स्थित भूमि को प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

संयुक्त स्थल जांच में मौके पर खसरा नं.129/2 रकबा 0.134 हे मे से रकबा 0.008 हे. अधिग्रहित की जा रही भूमि पर वृक्ष स्थित नहीं होना पाया गया है। अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

12 बहादुर व. विष्णु जाति केंवट सा.देह भूमि स्वामी ख नं. 17/3 निवासी ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 28 तह. जिला रायगढ़ यह कि मेरे भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके संबंध में निम्नलिखित दावा आपत्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत है। अधिग्रहित भूमि का रेखांकन स्पष्ठ नही है। अतः अधिग्रहित की जा रही भूमि के क्षेत्रफल का पुनः स्पष्ठ रेखांकन करने के लिए आदेशित करें।अधिग्रहित भूमि में स्थित संपत्तियों की संख्या में संशोधन कि आवश्यकता है, अतः पुनः गणना कर मूल्यांकन करनें के लिए आदेशित करें।भूमि स्वामी द्वारा उक्त भूमि पर गृह निर्माण (गौशाला) पशु पालन कार्य के लिए किया गया है, जिसका कि आपके द्वारा दिये गये नोटिस में किसी प्रकार का कोई विवरण नही है। भूमि का निरिक्षण कर गृह को आपके द्वारा किये जा रहे भू अर्जन में शामिल करनें कि कृपा करे एवं गृह का अधिकतम उचित मूल्य तय कर मुआवजा प्रदान करनें की कृपा करें। ग्राम जुर्डा के जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य अत्यधिक कम है, यदि इसे ही मूल्य मान्य कर मुआवजे की रकम तय कि जाती है। तो मुआवजा आपत्ति जनक एवं अस्वीकार होगा।

संयुक्त स्थल जांच में आवेदित भूमि खसरा नं. 17/3 रकबा 0.809 हे. में से रकबा 0.061 हे. भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। मौके पर स्थित परिसम्पत्तियों का परिगणना मुल्यांकन कर दिया गया है। उक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि पर पर गृह निर्माण (गौशाला) पशु पालन स्थित नहीं है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

13 प्रेमसागर पिता स्व. बहादुर ग्राम जुर्डा निवेदन है कि श्रीमती बहादुर, बुधियारीन पिता लालमणी ग्राम जुर्डा हक अधिकार में खसरा नं. 326/8 रकबा 0.117 हे. तैयार किया गया है। बहादुर का स्वर्गवास हो चुका है। तथा उनके विविध वारिसार प्रेमसागर, दिव्या, बसंती, संख्या बुधयारिन है। ऐसी स्थिती में मृतक बहादुर का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसनों के नाम से भू–अर्जन प्रकरण तैयार किया जावे दर्शित भूमि वृक्ष महुआ 2 नग चार 1 नग सोनारी 1 नग चार नग रिया 2 नग है जिन्हे वृक्ष कालम में दर्ज नही किया गया है जिससे आवेदक को आर्थिक क्षति हो रही है।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. 326/8 रकबा 0.405 हे में से रकबा 0.117 हे. अधिग्रहित की जा रही है। बहादुर पिता लालमणी का फौती नामांतरण किया जाकर उसके विधिक वारिसानों के नाम पर अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार भू अर्जन पत्रक तैयार किया गया है। तथा अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 4 नग चार, 2 नग रिंया, 1 नग सेम्हर, एवं 2 नग बेल वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है।

14 बुधनी पति स्व. नरसिंह जाति भूईया सा0देह भूमि स्वामी खसरा नं. 24/1 निवासी ग्राम जुर्डा तह व. जिला रायगढ़ प.ह.न. 38 यह की मेरे भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके संबंध में निम्नलिखित दावा आपत्तियां सादर प्रस्तुत है।अधिग्रहित भूमि का रेखांकन स्पष्ठ नही है अतः अधिग्रहित की जा रही भूमि पुनः स्पष्ठ रेखांकन करने के लिए आदेशित करें। अधिग्रहित भूमि में स्थित संपत्तियों की संख्या में संशोधन कि आवश्यकता है, अतः पुनः गणना कर मूल्यांकन करनें के लिए आदेशित करें। ग्राम जुर्डा के जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य अत्यधिक कम है, यदि इसे ही मूल्य मान्य कर मुआवजे की रकम तय कि जाती है। तो मुआवजा आपत्ति जनक एवं अस्वीकार होगा।

संयुक्त स्थल जांच में आवेदित भूमि खसरा नं. 24/1 रकबा 0.243 हे. में से 0.053हे. भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। तथा स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 1 नग आम, 2 नग महुआ वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

अनुसार किया गया है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

15 तरुदास पटेल पिता महेशराम जाति अघरिया सा0 देह भूमि स्वामी प्रर्थी की भूमि खसरा नं. 251/ रकबा 0.020 हे. खसरा नं. 253/4 रकबा 0.020 हे. तथा 568/1 रकबा 0.08 हे. ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 38 तह व. जिला रायगढ़ को औद्योगिक प्रयोजन हेतु अर्जन में लिया गया है। उक्त दर्शित भूमि का रकबा अधिक है और मात्र उपरोक्त रकबा की भूमि का अर्जन किये जाने से खसरा नं. मे दर्शित भूमि मे रकबा की बचत हो रही है और भू अर्जन के छुट जाने से उक्त भूमि कृषि योग्य न रहने से आवेदक को काफी क्षति हो रही है।दर्शित भूमि मे वृक्षो की संख्या मे मात्र 3 नग महुआ का वर्णित है। जबकि उक्त भूमि मे चार दो नग, परसा 2 नग, तेन्दु 3 नग है जिन्हे भी वृक्षो की सूचि में जोड़ा जावे। ग्राम कोतरलिया,चिटकाकानी, पण्डरीपानी स्थित भूमि का भू–अर्जन औद्योगिक प्रयोजन मे किया गया है जो ग्राम जुर्डा के भूमि से मूल्यांकन काफी अधिक है और आवेदक की भूमि का भू–अर्जन मुल्यांकन उक्त ग्राम से कम होने से आवेदक को आर्थिक क्षति हो रही है। कृषक महेश राम अस्वस्थ्य होने के कारण आवेदन पत्र महेश के पुत्र द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओ को ध्यान मे रखते हुए भू–अर्जन मुआवजा राशि तैयार किया जावे ताकि आवेदक को आर्थिक क्षति न हो अन्यथा भू–अर्जन के संबंध मे आवेदक अपना आपत्ति दर्ज कराता है अतः आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भू अर्जन पत्रक खसरा नं. 25/1 रकबा 0.069 हे. में से 0.020 खसरा नं. 253/4 रकबा 0.170 हे.में से 0.020 हे. खसरा नं. 568/1 रकबा 0.008 हे. मे से रकबा 0.008 हे भूमि के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है। भूमि पर 1 नग चार, 3 नग महुआ, 1 नग धोबनी, एवं 2 नग पलास वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है।

16 राजेश उर्फ घरमसिंह पिता गोपीराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी खसरा नं. 17/5, 82/1 निवासी ग्राम जुर्डा प.ह. नं. 38 तह व जिला रायगढ़ यह कि मेरे भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके संबंध में दावा आपत्ति आपके सामने सादर प्रस्तुत है। अधिग्रहित भूमि रोड से लगा हुआ है, इसे ध्यान रखकर मुआवजे कि रकम तय कि जाये। अधिग्रहित भूमि सिंचित है जिसमें 5 एचपी. बोर स्थित है। अन्य सम्पत्तियों की संख्या में संशोधन की आवश्यकता है, भूमि में निम्न संप्पत्तियां स्थित है,बोर 5 एचपी. 1 नग, महुआ 8 नग, बरगद 1 नग, हर्रा 1, प्लास 2 , कसही 3 नग, मुनगा 7, नींबू 2, नीम 2 नग। जुर्डा के जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य अत्यधिक कम है, बाजार मूल्य निकट गांव में स्थित समान प्रकार के जमीन का मूल्य बराबर किया जाए। अधिग्रहित भूमि के अलावा मेरे नाम और कोई जमीन नही है। जिसमें 3 सदस्यों का जीवन व्यापन हो रहा है, अतः मेरी योग्यतानुसार नौकरी प्रदान करनें की कृपा करें।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. 17/5, रकबा 0.405 में से रकबा 0.121 हे भूमि एवं खसरा नं. 82/1 रकबा 0.898 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है उक्त भूमि मुख्य सड़क से लगकर नहीं है, अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 11 नग महुआ, 1 नग बरगद, 1 नग बेहरा 2 नग पलास 4 नग मुनगा 2 नग सेन्हा वृक्ष एवं 1 नलकुप 5 एच. पी. भी स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है। एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार हेतु पुर्नवास नीति कमिश्नर बिलासपुर के द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित योजना के अनुसार प्रभावित परिवारों को वार्षिकी का प्रावधान किया गया है, जो कि रोजगार के स्थान पर होगा। तथा खसरा नं. 17/5, रकबा 0.405 में से रकबा 0.121 हे भूमि शासकीय पटटा से प्राप्त भूमि है जिसे सक्षम अधिकारी के बिना अनुज्ञा के कृष राजेश उर्फ धरमसिंह पिता गोपीराम जाति अघरिया द्वारा कय किया गया है। जिसका मुआवजा भुगतान निम्नानुसार देय होगा।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

17 सफेद पति बोधराम जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि प्रार्थी सफेदबाई / बोधराम के नाम से ख.नं. 56 व 57 में 0.437 हे. भूमि है। जिसमें से 0.387 हे. भूमि सार्वजनिक उद्यौगिक प्रयोजन हेतु उपयोग में ली जा रही है। शेष भूमि 0.024 हे. शेष है। जिसको हमें कमाने के लिए भी असुविधा होगी।अतः निवेदन है कि उक्त भूमि को भी भू अर्जन में उचित आकलन करके मुआवजा दिया जावें। ग्राम जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है। (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि का बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिध्दांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बता दे कि ग्राम का भूमि आसपास के सभी ग्रामों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। यहां अन्य गांवो कि अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रही हैइसकी पुष्टि आप कृषि विभाग एवं मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आसपास जुडे हुए ग्राम पंचायत है किन्तु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है। वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी रेल्वे लाइन जा रही है, जिसके भू अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू अर्जन का मुआवजा दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबध्द आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26(1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमे संशोधन कर उचित मूल्य निर्धारण करने की कृपा करें।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. कमशः 56, 57रकबा 0.360, 0.077 हे. में से 0.360, 0.024 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है। इसके अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है।तथा भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

18 सीमा पिता सुखलाल राठिया खं नं. 78/8 रकबा 0.240 हे. का औद्योगीक प्रयोजन हेतु अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसके संबंध में निम्नलिखित दावा आपत्ति आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है। अधिग्रहित भूमि का रेखांकन सीमा स्पष्ठ नही है। अतः अधिग्रहित कि जा रही भूमि के क्षेत्रफल को पुनः स्पष्ठ रेखांकन करने के लिए आदेशित करें।अधिग्रहित भूमि में स्थित संपत्ति महुआ 17, केन्दु 1, चार 33, बेहरा 4, नीम 8, कसाई 2, खैर 2, प्लास 5, जामुन 1, डुमर 1 अन्य 1 स्थित है की संख्या संशोधन की आवश्यकता है वृक्ष सूची में निरंक अंकित है।यह कि अधिग्रहित भूमि खसरा नं. 78/8 रकबा 0.077 हे0 की अधिग्रहित किया जो मुआवजा सूची में दर्ज नही है जिसे जोडा जाये। ग्राम जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है। (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि का बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिध्दांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बता दे कि ग्राम का भूमि आसपास के सभी ग्रामों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। यहां अन्य गांवो कि अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रही है इसकी पुष्टि आप कृषि विभाग एवं मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पूर्व) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आसपास जुडे हुए ग्राम पंचायत है किन्तु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है। वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी रेल्वे लाइन जा रही है, जिसके भू अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू अर्जन का मुआवजा दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबध्द आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26(1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमे संशोधन कर उचित मूल्य निर्धारण करने की कृपा करें।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

आवेदित भूमि खसरा नं. 78/8 रकबा 0.312 हे. भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 10 नग महुआ, 5 नग नीम, 1 नग डुमर 3 नग खैर 1नग बेहरा 3 नग कसही 7 नग पलास, 1 नग तेंदु 1 नग कुम्ही 1 नग जामुन, 25 नग चार वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

(18)1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग. ासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

(18)2. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू – अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

(18)3. यह कि उक्त प्रतावित भू–अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रकियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामान्तरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साक्ष्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेश हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाशन पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू–अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाशन कराया गया जो न्याय संगत नहीं है।

(18)4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(18) 5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

(18)6. यह कि धारा 4 (1) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 38 तह.व जिला रायगढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/12/2013 को प्रकाशन कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 78/2,78/8 रकबा 0.389 हे0 कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू–अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (Leps) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(18)7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है ववके उप धारा के अधिन कोई घोशणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

(18)8. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

(18)9. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

(18)10. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

(18)11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

(18)12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं राष्ट्रीय राज मार्ग से लगी हुई भूमि की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे एवं सवोच्च पुनर्वास नीति लागू किया जाना प्रावधानित है जिसका लाभ प्रदान किया जावे । पूर्व में दिनांक 20.01.16 का आपत्ति के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

(18)13. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ए व के धवत भू–अर्जन प्रक्रिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भवि य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

(18)1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

(18)2. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र रायगढ़ संदेश दिनांक 18/10/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमी दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/11/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

(18)3. ग्राम जुर्डा तह. रायगढ़ अंतर्गत है एवं आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत कोई भी आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ को नियत समय सीमा में प्राप्त नही हुई थी।

(18)4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

(18)5. नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित की जा चुकी है। ग्राम जुर्डा में प्रारंभिक अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 30.10.15 के अनुसार 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई थी।

(18)6. ग्राम जुर्डा में पूर्व में भू – अर्जन की कार्यवाही नही हुई। आपत्तिकर्ता द्वारा कि गई आपत्ति अपूर्ण एवं असत्य है।

(18)7. कमिश्नर बिलासपुर,संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना का सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है। इसका उल्लेख धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी किया गया है।

(18)8. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6. एवं पुनः 30.7.2016 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू–अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

(18)9. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

(18)10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरुस्त कर कार्यवाही की जा रही है।

(18)11. दिनांक 02.7.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.7.2016 को बैठक के बिंदुओं की प्रति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी है।

(18)12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

(18)13. प्रकरण में नियमानुसार अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण पश्चात प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी कर सुना गया है।

19 अवधूत, तेजराम, भोगीलाल पि.बैरंग जाति कॅवर सा. देह भूमि स्वामी ख. नं. 73/1, 78/3 रकबा कमशः 0.146 0.231 हे. तथा खसरा नं. 78/9 रकबा 0.146 हे. भूमि को औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित किया गया है। जिसमें वृक्षों कि संख्या का सही गहण नहीं किया गया है। उक्त भूमि में कठली एक नग, नीम एक नग, फरसा दो नग जिसका भी वृक्ष कालम में गणना किया जावे।

भू अर्जन प्रकरण मे तेजराम का मृत्यू हो चुका है तथा फौती नामांतरण मे उसकी पत्नि गुरुवारी का नाम दर्ज हो गया है मृत तेजराम के स्थान पर उसकी पत्नि को मुआवजा प्रदान किया जावे। ग्राम जर्दा भूमि का मुआवजा राशि कम निर्धारित है जब कि पंडरीपानी कोतरलिया आदि ग्रामो का मुआवजा राशि ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अन्य ग्रामों की भांति का मुआवजा निर्धारित किया जावे।

स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 36 नग महुआ 2 नग पलास 11 नग खैर 12 नग चार 2 नग बीजा, 1 नग साजा, 1 नग कठली, 2 नग रिंया 1 नग कसही 1 नग तेंदु एवं 1नग नीम वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है। मृतक तेजराम का फौती नामांतरण किया जाकर अद्यतन अभिलेख के अनुसार मुआवजा पत्रक तैयार किया गया है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है। ।

20 कृपाराम पिता संतराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी उक्त भूमि के मध्य में खसरा नं. 64/2 रकबा 0.121 हे0 भूमि स्थित है जिसे औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू अर्जन किया गया है उक्त दर्शित भूमि जो चारों ओर से घिर जानें से कृषक को आने जाने मे काफी परेशानी होगी ऐसी स्थिति में इस भूमि को अर्जन

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

किया जाना उचित है, अथवा आवागमन हेतु रास्ता स्थाई रुप से दिया जाना उचित है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम कोतरलिया, चिटकाकानी,पंडरीपानी के आधार पर ग्राम जर्डा स्थित भूमि को प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

खसरा नं. 64/2 रकबा 0.773 हे. में से 0.121 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है। के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है। आवागमन हेतु एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा स्थायी रास्ता का सुविधा उपलब्ध कराया जावेगा। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

21 गोपीराम पिता कृपाराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी उक्त भूमि के मध्य में खसरा नं. 558/4 रकबा 0.133 हे0 568/4 रकबा 0.016 हे. का औद्योगिक प्रयोजन हेतु अर्जन किया गया है। भूमि खसरा नं. 558/4 रकबा 0.133 हे. के अलावा इस खसरा नं. ज्यादा भूमि है जो चारों ओर से रेल लाईन से घिर चुका है जिससे आवगमन हेतु कृषक को काफी परेशानी होगी ओर कृषी कार्य प्रभावित होगा ऐसी स्थिती में कृषक को भू अर्जन की गई भूमि में स्थाई रूप आवागमन हेतु रास्ता दिया अथवा खसरा नं. 58/4 की संपूर्ण भूमि को अर्जन में लिया जाये ।343/9 रकबा 0.174 हे. मे रकबा 0.012 हे0 का भू अर्जन मालिक राम के पिता जनकराम के नाम से धारा 19 के तहत भू अर्जन प्रकाश हुआ है। जबकि उक्त भूमि तहसीलदार के रा.प्र.क्र. 104/अ 6 अ /14– 15 में गोपीराम के पक्ष मे आदेश पारित हुआ है जिसकी प्रति संलग्न है ऐसी स्थिति में भू अर्जन प्रकरण आवेदक के नाम से तैयार किया जाना न्यायोचित होगा। अतः निवेदन है कि उक्त संबंध में उचित विचार किया जावे तथा भूमि का भू अर्जन मुआवजा पत्रक ग्राम कोतरलिया, चिटकाकानी व पंडरीपानी स्थिति भूमि आधार पर तैयार कर मुआवजा राशि निर्धारण की जावे अन्यथा आवेदक को आपत्ति है।

आवेदित भूमि ख.नं. 58/4, रकबा 0.166 हे. में से 0.133 हे. 568/4 रकबा 0.016 हे. में से 0.016 हे0 भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। के अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है। आवागमन हेतु एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा स्थायी रास्ता का सुविधा उपलब्ध कराया जावेगा। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है। आवेदित भूमि ख.नं. 343/9 रकबा 0.174 हे. में से रकबा 0.012 हे0 भूमि का पूरक प्रकाशन किया जावेगा तथा मालिकराम पिता जनकराम के नाम पर अधिग्रहण की जा रही भूमि खसरा नं. 342/2 रकबा 0.012 हे0 भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

22 घनश्याम पिता दयाराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी ग्राम जर्डा खसरा नं. 68/7, 567 रकबा 0.024, 0.028 हे. भूमि को औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहण किया गया है। जबकी भूमि स्वामी का सही नाम घनश्याम पटेल है अतः मुआवजा पत्रक में सही नाम धनश्याम के स्थान पर घनश्याम अंकित किया जावे । भूमि का मुआवजा राशि कम निर्धारित है विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू–अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें।

भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।अद्यतन अभिलेख के अनुसार मुआवजा पत्रक तैयार किया गया है।

23 चंद्रमणी बेवा डिलेश्वर रजनी,रश्मि,रिषभ पिता डिलेश्वर, रोहित, पिताम्बर,पुरुषोत्तम, सतीश, विष्णु, श्रद्धा ,प्रभा पिता रामहरि जाति ब्राम्हण सा.देह भूमि स्वामी यह कि अनावेदकगण चंद्रमणी बेवा डिलेश्वर, रजनी रश्मि, रिसभ पिता डिलेश्वर, रोहित, पितांबर, पुरुषोत्तम, सतीष, विष्णु, श्रध्दा, प्रभा पिता रामहरी के नाम से ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 38 तह. व जिला रायगढ़ में खसरा नं. 106/1 में जितना रकबा है उसके पूरे भूमि का भू अर्जन किया जावें अन्यथा कृषक का शेषभूमि बेकार हो जावेगा। यह कि उक्त भूमि का भू अर्जन किये जाने हेतु भू अर्जन धारा के तहत अनावेदक को नोटिस प्रेषित किया गया है।यह कि अनोदकगण को भू अर्जन की जाने वाली उक्त भूमि ख. नं. 106/1 रकबा 0.323 हे0 भूमि पक्का जिन्दा कुआ जिसका साईज 18 फुट जिसे नोटिस में इन्द्राज नही किया गया है इसी तरह उक्त भूमि पर लगे वृक्ष का नग कम दर्शाया गया है। उक्त भूमि पर वास्तव में मौके पर शीशम के 40 वृक्ष जो 25 – 30 वर्ष पुराना है कसाई 16 वृक्ष, बांस के 8 भीरा, निलगिरी कई वृक्ष, महुआ 3 वृक्ष केकट 2 वृक्ष, नीम के 2 वृक्ष स्थित है।यह कि उपरोक्तानुसार अनावेदक गण निवेदन करते है आपत्ति दर्ज किया जाकर मौका जांच करवा कर मुआवजा राशि निर्धारण किया जावे। यह कि अनावेदकगण के संयुक्त खाते में भूमि दर्ज होने के कारण सभी को संयुक्त रुप से नोटिस जारी किया गया है । खतेदार रोहित, पितांबर, पुरुषोत्तम, सतीश, प्रभा के नाम पृथक राशि प्रदाय किया जावे। तथा डिलेश्वर की मृत्यू पश्चात चन्द्रमणी पत्नि डिलेश्वर, रजनी, रश्मि व वृषभ पुत्र व पुत्री होने से उनके नाम से पृथक मुआवजा राशि प्रदान किया जावे। मुआवजा राशि को 8 भागो में बराबर बांटकर मुआवजा राशि प्रदान कि जावे। मुआवजा राशि का विभाजन 8 बराबर भागों में किया जाकर चेक भुगतान हिस्सा अनुसार प्रदान किया एवं प्रत्येक परिवार से पृथक – पृथक रूप में एक एक सदस्यों को नौकीरी प्रदान की जावे क्योंकी प्रत्येक परिवार अलग अलग पृथक होकर अलग अलग स्थानों में निवास कर रहे है।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. 106/1 रकबा 0.922 हे. में से 0.323 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है। के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है। स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 7 नग पलास, 24 नग शीशम, 6 नग कसही, 2 नग बॉस भीरा, 2 नग निलगिरी, 2 नग भेलवां, 1 नग करंज ,7 नग अन्य 3 नग महुआ, 1 नग केकट 1 नग नीम वृक्ष एवं 1 पक्का कुआं भी स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है। अधिग्रहित की जा रही भूमि का मुआवजा पत्रक अद्यतन अभिलेख के अनुसार तैयार किया गया है। के नाम पर मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा।एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार हेतु पुर्नवास नीति कमिश्नर बिलासपुर के द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित योजना के अनुसार प्रभावित परिवारों को वार्षिकी का प्रावधान किया गया है, जो कि रोजगार के स्थान पर होगा।

24 भगवति पति जोतराम,नरेन्द्र,माधुरी कुमारी गीता,पिता जोतराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी खसरा नं. कमशः 65/4, 65/8, 66/5, 66/7, 253/6 350/4, 568/3 कुल रकबा कमशः 0.036, 0.010, 0.040, 0.028, 0.020, 0.063, 0.004 हे0 भूमि स्थित है जिसे औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू अर्जन किया गया है। उक्त दर्शित भूमि जिसका भू अर्जन किया गया है। उक्त भूमि मे चारो तरफ रकबा छुट जा रही है जिससे कृषक को आर्थिक क्षति हो रही है अतः बचत रकबा के कृषि कार्य कर पाना असम्भव है।उक्त दर्शित भूमि में मात्र 2 नग महुआ वृक्ष वर्णित किया गया है, जबकि इसके अलावा 12 मौहा, 4 चार पेड, 1 नीम पेड, 2 कसही पेड तथा 2 केकट वृक्ष है। जिसकी गणना न करने से आवेदक को काफी क्षति हो

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रही है। ग्राम कोतरलिया,चिटकाकानी,पंडरीपानी के आधार पर ग्राम जर्दा स्थित भूमि को प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

संयुक्त स्थल जांच में मौके पर खसरा नं. कमशः 65/4, 65/8, 66/5, 66/7, 253/6 350/4, 568/3 कुल रकबा कमशः 0.036, 0.010, 0.040, 0.028, 0.020, 0.063, 0.004 हे0 भूमि अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 1 नग खैर, 1 नग सेम्हर, 2 नग चार ,4 नग महानीम, 2 नग महुआ, 1 नग पलास वृक्ष स्थित होना पाया गया है। भूमि एवं स्थित सम्पत्तियो का मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है।

25 दिनेश पटेल जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि ग्राम जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है। (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि का बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिध्दांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बता दे कि ग्राम का भूमि आसपास के सभी ग्रामों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। यहां अन्य गांवो कि अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रही हैइसकी पुष्टि आप कृषि विभाग एवं मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आसपास जुडे हुए ग्राम पंचायत है किन्तु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है। वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी रेल्वे लाइन जा रही है, जिसके भू अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू अर्जन का मुआवजा दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबध्द आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26(1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमे संशोधन कर उचित मूल्य निर्धारण करने की कृपा करें।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. 34/5 रकबा 0.178 मे से 0.004 हे. 69/7,69/869/10 रकबा 0.279 हे. मे से रकबा 0.108 हे भूमि खसरा नं. 76/1 रकबा 0.405 मे से रकबा 0.243 खसरा 248/2 रकबा 0.809 मे से रकबा 0.162 हे भूमि भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015--16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

26 भगतराम पिता टीकाराम, गनपत पि लेखराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी द्वारा ग्राम जुर्डा प.ह.नं.38 स्थित अपने स्वामित्व की भूमि खसरा. न. 54/1,54/2,54/3,54/4 रकबा कमशः 0.024,0.020.,0.020,0.065 हे. भूमि को सार्वजनि प्रयोजन अर्थात औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किये जाने का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अनावेदकगण खातेदार को अपने हित अधिकारी मुआवजा राशि भूमि पर अधिकार के फलस्वरूप मुआवजा में हित सम्बन्धि दावे तथा भूमि के परिमाप नस्ती सम्बन्धी अथवा आपत्ति मय अभिलेखों दस्तावेजो प्रमाणों के साथ 27.06.2016 को न्यायालय भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के समक्ष करने हेतु नोटिस प्रदाय किया गया है। यह की अनावेदकगण के उपरोक्त उल्लेखित खसरा नं. के कुछ भागों पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है अनावेदक का एक मात्र आय का जरिया कृषि है तथा कृषि पर ही अपने परिवार का जीवन यापन करते है इस कारण उपरोक्त उल्लेखित भूमियों को भू अर्जन से मुक्त किया जावे अन्यथा उपरोक्त उल्लेखित खसरा नम्बरों के भोष बचत भूमि पर कोई भी कृषि कार्य हो पाना सम्भव नहीं है, इस कारण सम्पूर्ण भूमियों का भू अर्जन में शामिल कर भू अर्जन मुआवजा राशि दिया जाना न्यायोचित होगा। अनावेदकगणों को अपने आस पास स्थित ग्रामों के अनुसार मुआवजा दिया जावे। प्रभावित स्थलों में छोटी–छोटी अनेक वृक्ष है। जिसका जॉच किया जाकर मुआवजा राशि भुगतान किया जाना न्यायोचित होगा।

संयुक्त जांच में खसरा नं. 54/1 रकबा 0.024 हे. में से 0.024 खसरा नं. 54/2 रकबा 0.020 हे. में से 0.020 हे. खसरा नं. 54/3 रकबा 0.020 हे. में से 0.020 हे खसरा नं. 54/4 रकबा 0.065 में से 0.065

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

हे भूमि अधिग्रहित की जा रही है। के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है। स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 3 नग पलास का वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है।

27 जनकराम पिता जेठू जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी खसरा नं. 293/1 रकबा 0.305 हे. भूमि रेल्वे लाईन हेतु अधिग्रहित की जा रही है। उक्त अर्जन पर आवेदक का निम्नलिखित आपत्ति है। यह कि आवेदक द्वारा ली गई भू अर्जन के तहत उक्त भूमि का मुआवजा राशि जो कि प्रदान किया जा रहा है वह बहुत ही कम है सही तथा अधिक मुआवजा राशि प्रदान कि जाय शासन द्वारा दी जा रही दर बहुत कम है निर्धारित दर से कम से कम 3–4 गुना अधिक मुआवजा प्रदान कि जाये।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. 293/1 रकबा 0.305 हे. अधिग्रहित की जा रही है उक्त भूमि भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

28 (1) मंगलप्रसाद पिता दयाराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी (2) लुकेश्वर पिता जामू जाति भुईंया सा देह भूमि स्वामी (3) दिनेश पटेल पिता गंगाराम ग्राम जुर्डा रायगढ़ छ.ग. (4) . श्री गोसाई राम प्रधान पिता भागिरथी प्रधान नि.ग्राम जुर्डा (5) पंडितराम पटेल पिता हरिधर पटेल (6) त्रिलोचन पिता लुकेश्वर जाति भुईया नि.ग्राम जुर्डा (7) पुरूषोतम राठिया (8) . श्री जवाहर सिदार पिता गौरेख ग्राम जुर्डा द्वारा आपत्ति बिन्दुवार प्रस्तुत निम्नासुार है।–

(28)1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग. ासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

(28)2. . यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू – अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

(28)3. यह कि उक्त प्रतावित भू–अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रकियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामान्तरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साक्ष्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेश हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाशन पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू–अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाशन कराया गया जो न्याय संगत नहीं है।

(28) 4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(28) 5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

(28)6. यह कि धारा 4 (1) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 38 तह.व जिला रायगढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/12/2013 को प्रकाशन कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. /रकबा हे0 कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू–अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (Leps) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

(28)7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है ववके उप धारा के अधिन कोई घोशणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

(28)8. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण हैं एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

(28)9. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

(28)10. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

(28)11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

(28)12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं राष्ट्रीय राज मार्ग से लगी हुई भूमि की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे एवं सवोच्च पुनर्वास नीति लागू किया जाना प्रावधानित है जिसका लाभ प्रदान किया जावे । पूर्व में दिनांक 20.01.16 का आपत्ति के साथ पंजीकृत विकय पत्र की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

(28)13. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ए व के धवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भवि य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझाना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

(28)1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

(28)2 धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र रायगढ़ संदेश दिनांक 18/10/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमी दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/10/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

(28)3. ग्राम जुर्डा तह. रायगढ़ अंतर्गत है एवं आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत कोई भी आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ को नियत समय सीमा में प्राप्त नही हुई थी।

(28)4 भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

(28)5. नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित की जा चुकी है। ग्राम जुर्डा में प्रारंभिक अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 30.10.15 के अनुसार 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई थी।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(28)6. ग्राम जुर्डा में पूर्व में भू – अर्जन की कार्यवाही नही हुई। आपत्तिकर्ता द्वारा कि गई आपत्ति अपूर्ण एवं असत्य है।

(28)7. कमिश्नर बिलासपुर,संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना का सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है। इसका उल्लेख धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी किया गया है।

(28)8 दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6. एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

(28)9. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

(28)10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरुस्त कर कार्यवाही की जा रही है।

(28)11. दिनांक 02.7.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.7.16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी है।

(28)12 भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

(28)13 प्रकरण में नियमानुसार अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण पश्चात प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी कर सुना गया है।

29 राधेश्याम पिता पुरूषोत्तम जाति अघरिया सा देह भूमि स्वामी उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू.) एवं ग्राम जुर्डा एक ही

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू–अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें। प्रभावित क्षेत्र खसरा नं. 293/8ग वर्तमान बी 1 पंचशाला खसरा में सिर्फ राधेश्याम पिता स्व. पुरसोतम के नाम दर्ज है। उन्य लक्ष्यमण हिस्सेदार नही है।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा 293/8ग रकबा 0.405 हे. मे से रकबा 0.032 हे. भूमि भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है। भू– अभिलेख के अनुसार राधेश्याम पिता पुरूषोतम के नाम पर मुआवजा तैयार किया गया है।

30 सावित्री बें टीकाराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी ख.नं. 66/4 रकबा 0.040 हे. 66/6 रकबा 0.028 हे. 253/5 रकबा 0.020, 568/2 रकबा 0.008 हे. को औद्योगिक प्रयोजन हेतु अर्जन किया जा रहा है।उक्त भूमि के मध्य में खसरा नं. 58/2 रकबा 0.057 हे0 है जो चारों ओर से घिर जानें से कृषक को आने जाने मे काफी परेशानी होगी ऐसी स्थिति में इस भूमि को अर्जन किया जाना उचित है, अथवा आवागमन हेतु रास्ता स्थाई रुप से दिया जाना उचित है।अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम कोतरलिया, चिटकाकानी, पंडरीपानी के आधार पर ग्राम जर्दा स्थित भूमि को प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

तहसीलदार रायगढ़ के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि खसरा नं. 58/2 रकबा 0.057 हे. भूमि पृथक से अधिग्रहण हेतु पूरक प्रकरण तैयार किया जा रहा है। एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा कृषकों के आवागमन हेतु पृथक से सड़क बनाया जावेगा। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

31 साधुराम पिता धोबाराम जाति कोलता सा देह भूमि स्वाामी उक्त भूमि से हमारे परिवार आश्रित है, हमारे परिवार का भरण पोषण का मुख्य आधार हमारी जमीन है। आपके द्वारा जारी किये गये नोटिस के अनुसार हमारे भूमि का खसरा क 326/3 कुल रकबा 0.344 का अधिग्रण किया जा रहा है। उक्त भूमि की मुआवजा राशि का आंकलन वर्तमान में भू अर्जन की धारा 26 क के अनुसार किया जा रहा है। जो कि बहुत ही कम है हमारे पडोसी ग्रामों के जमीनों के आकलन की अपेक्षा बहुत ही कम है। कृपया उचित मुआवजा देनें कि कृपा करे।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा क 326/3 कुल रकबा 0.344 हे. भूमि भू– अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

32 हिराराम पिता ललितराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी ख. नं. 106/4 रकबा 0.032 हे. स्थित है। हिराराम के उक्त भूमि में महुआ पेड़ 2 नग है जबकी मात्र एक महुआ पेड़ इन्द्राज है। अतः निवेदन है कि वृक्षों की गणना तथा अन्य ग्राम की भांति मुआवजा का निर्धारण किया जावे अन्यथा आवेदक को आपत्ति है अतः उक्त आवेदन स्वीकार करनें की कृपा करें! ग्राम कोतरलिया,चिटकाकानी,पंडरीपानी के आधार पर ग्राम जर्दा स्थित भूमि को प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

स्थल जांच में मौके पर ख. नं. 106/4 रकबा 0.032 हे. अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 2 नग मौहा वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

33 गोदलो, उदेराम, पिता भुरू मिलाप पिता किरीत जाति गांडा सा.देह भूमि स्वामी यह कि रा.प्र.क्रं. 46/अ–42/15–16 के तहत हमारे भूमि स्वामि खसरा नं. 95/2 रकबा 0.154 हे. भूमि अनावेदक के नाम पर प्रकाशन किया गया है। जबकि उक्त भूमि आपत्तिकर्तागण की हक कि स्वमित्व भूमि है। यह कि आपत्तिकर्ता के उक्त भूमि खसरा नं. 95/2 रकबा 63 डिसमिल भूमि जो भू अर्जन किया गया है। कि भूमि के बदले में पूर्व न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय रायगढ़ के द्वारा कं 73 अ 19 1 76–77 मिलापराम विरुध्द शासन के नाम में प्रकरण में खसरा नं. 114 रकबा 63 डिसमिल भूमि के शाला भवन हेतु सुरक्षित किया जानें का न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, के मिलापराम को दिये जानें न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय आर. के कश्यप के न्यायालय से दिनांक 1/12/85 के आदेशनुसार आपत्तिकर्तागण को भूमि तहसीलदार महोदय रायगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 24/7/78 के मुताबित शासकीय भूमि खसरा नं. 95 से रकबा 0.63 डिसमिल जिससे स्पष्ठ आदेशा है कि खसरा नं. 95 से 63 एकड़ भूमि किरित राम के पुत्र मिलापराम गाडा निवासी जुर्डा के नाम से किये जाने का आदेश पारित किया गया है जिसका अभिलेख दुरुस्ती में राजस्व अधिकारी के द्वारा गोदलो उदेरराम पिता भुरु का भी नाम दर्ज किया गया है जो कि विलोपित किया जाना न्यायोचित होगा। यह कि आपत्तिकर्तागण ख.नं. 114 से 0.163 भूमि शाला भवन हेतु सुरक्षित किये जानें का आदेश किया गया है। और तबादले में शासकीय भूमि खसरा नं. 95 से 0.63 एकड भूमि करितराम के पुत्र मिलापगाड़ा निवासी जुर्डा के से किये जानें का आदेश है । जिसमें से न्यायालय द्वारा शासकीय भूमि खसरा नं. 95 से काटकर टुकडा 95/2 रकबा 63 डिसमिल मिलापराम को तबादले में दिया गया है यह कि आवेदक गोदलो उदेराम आपत्तिकर्ता गण के पिता के भाई चाचा है जिनको पूर्व में ही हिस्सा बटवारा किया जा चुका था और उक्त भूमि खसरा नं. 95/2 रकबा 63 डिसमिल मिलापराम का हि हिस्सा हैं। चूंकि अनावेदक गोदलो उदेराम पिता भुरु का हिस्सा बटवारा व अन्य खसरा नं. पर दिया है। तथा उनके बारिसनों द्वारा सहमती पत्र भी लिख दिया गया है। जो आपत्ति के साथ संलग्न है, ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नं. 95/2 पर मात्र मिलापराम के वारिसन जगदिश पिता मिलाप देवकी पिता मिलाप केकती पिता मिलाप मालती पिता मिलाप बिलासनी पिता मिलाप किया पति मिलाप की मृत्यू के पश्चात उसके वारिसन बिलासनी माता किया विनोद माता किया के नाम पर दर्ज किया जाना चाहिए।यह कि उपरोक्तानुसार उक्त भूमि को आवेदक का नाम विलोपित कर आपत्तिकर्तागण का नाम दुरुस्त कर भू अर्जन प्रकिया तथा मुआवजा राशि आपत्तिकर्तागण के नाम पर किया जाकर विधिवत शासन द्वारा दिये गये निर्देशो के परिपेक्ष में मुआवजा तथा रोजगार निर्धारित करते हुए उक्त भूमि का भू अर्जन किया जावें। यह कि उपरोक्त खसरा नं. की भूमि जो कि ग्राम जुर्डा में स्थित है। जो कि शहर से बहुत नजदीक है, इस कारण से उक्त भूमि का बाजार भाव अत्यधिक है।इस कारण से उक्त भूमि को बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा निर्धारण किया जावे तथा शासन द्वारा निर्धारित दर कम होने से आवेदक को अनुचित हानि हो रही है। तथा आपत्तिकर्तागण के उक्त खसरा नं. 95/2 पर एक पक्की कुआं भी निर्मित है, जिसका आकलन नही किया गया है और उक्त नंबर पर लगभग 10 डिसमिल भूमि पर बचत हो रही है जिसे भू अर्जन किया जाना न्यायोचित होगा। यह कि हम शासन द्वारा किये जा रहे भू अर्जन से प्रभावित हो रहे है। इस लिये हमारे परिवार के आश्रित व्यक्तियों को शासन द्वारा रोजगार हेतु नौकरी दिया जावे! यह कि हमारी उक्त खसरा नं. की भूमि की मध्य से भूमि को भू अर्जन में ली जा रही है। जिसके दोनो छोर में बहुत ही कम रकबा बचत होने से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करना संभव नही है। एवं कृषि कार्य हेतु भूमि उपयोग की नही रह जावेगी इस कारण से ही उक्त भूमियों को भू अर्जन में ली जाकर मुआवजा निर्धारण किया जाकर मुआवजा दी जावें।

सयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. 95/2 रकबा 0.255 हे. में से रकबा 0.154 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है । के अतिरिक्त भूमि का भू अर्जन की आवश्यकता नहीं है। अधिग्रहित भूमि पर 1 नग केकट, 4 नग सेम्हर, 1 नग पलास, 4नग कसही, 1 नग शिशम 2 नग बेर 1 नग करंज 2 नग बांस भिरा एवं 1 पक्का कुआं भी स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है। उक्त भूमि का अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार हेतु पुर्नवास नीति

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

कमिश्नर बिलासपुर के द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित योजना के अनुसार प्रभावित परिवारों को वार्षिकी का प्रावधान किया गया है, जो कि रोजगार के स्थान पर होगा।

34 कीर्तन पिता शत्रुघन जाति तेली सा.देह भूमि स्वामी निवेदन है कि ग्राम जुर्डा तह. जि. रायगढ़ स्थित भूमि ख.नं. 293/7 , 324/2 रकबा 0.101, 0.101 हे0 का औद्योगिक प्रयोजन हेतु अर्जन किया जा रहा है जिसमें मुआवजा पत्रक/सूचना में प्रार्थी कीर्तन पिता शत्रुघन की जाति तेली अंकित है। जबकि प्रार्थी की जाति कोलता है जिसे संशोधन किया जावे। दर्शित भूमि में वृक्षों की संख्या गणना से अधिक है ख. नं. 293/7 महुआ 10 नग, 1 कटली तथा ख.नं. 324/7 मे 21 महुआ, 4 साजा, 3 रैना, 1 बोरो, 1 जमीनी, 1 खम्हार, 6 चार, एक रिया पेड़ स्थित है। उपरोक्त वृक्षों की गणना सूचि में अंकित किया जावे तथा प्रार्थी को मुआवजा राशि प्रदान किया जावे अन्यथा आवेदक को आपत्ति है।

स्थल जांच प्रतिवेदन में अधिग्रहित की रही भूमि ख. नं. 293/7, 324/2 में आवेदक की जाति कोलता के नाम पर ही मुआवजा पत्रक तैयार किया गया है। स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 7 नग महुआ, 6 नग चार, 1 नग साजा वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है।

35 टीकाराम पिता सुखराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी ख. नं. 106/5ग रकबा 0.040 हे. है उक्त भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भू अर्जन किया जा रहा है भू अर्जन के तहत भूमि के अर्जन होने के उपरांत मैं भूमिहीन हो जाउंगा अतः मरे परिवार का पालन पोषण करने का एकमात्र साधन है। कि भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत जिस भू स्वामी या परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करानें का प्रावधन है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि रोजगार प्रदान करनें की कृपा करें।

स्थल जांच प्रतिवेद में ख. नं. 106/5ग रकबा 0.040 हे भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार हेतु पुर्नवास नीति कमिश्नर बिलासपुर के द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित योजना के अनुसार प्रभावित परिवारों को वार्षिकी का प्रावधान किया गया है, जो कि रोजगार के स्थान पर होगा।

36 नारायण, राठिया यह कि आवेदक/आपत्तिकर्तागण की भूमि ग्राम जुर्डा में खसरा नं. 47 रकबा 0.129 हे. भूमि अधिग्रहण के तहत ली जा रही है जिसमे से कुछ हिस्सा छुट जा रही है। तथा उक्त भूमि दो फसली है उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने में परेशनी जा रही है। तथा आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना पड रहा है। अतः भूमि से बचे भूमि का अधिग्रहण किया जाये। तथा मौका जांच कर मुआवजा राशि प्रदान किया जावे। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू–अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करवद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें।

संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन में आवेदित भूमि खसरा नं. 47 रकबा 1.157 हे. में से अधिग्रहित रकबा 0.129 हे. भूमि निजी नलकूप से सिंचित दो फसली अनुसार मुआवजा का निर्धारण किया गया है। एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा कृषकों के आवागमन हेतु पृथक से सड़क बनाया जावेगा। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

(36)1. भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2 व 3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

(36)2. .यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू – अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

(36)3. यह कि उक्त प्रतावित भू–अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रकियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामान्तरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साक्ष्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेश हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाशन पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू–अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाशन कराया गया जो न्याय संगत नहीं है।

(36)4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(36) 5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

(36)6. यह कि धारा 4 (1) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 38 तह.व जिला रायगढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/12/2013 को प्रकाशन कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. /रकबा हे0 कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू–अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (Leps) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

(36)7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है ववके उप धारा के अधिन कोई घोशणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यरस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

(36)8. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवााही शुन्य व अवैधानिक है।

(36)9. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

(36)10. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

(36)11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

(36)12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं राष्ट्रीय राज मार्ग से लगी हुई भूमि की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे एवं सवोच्च पुनर्वास नीति लागू किया जाना प्रावधानित है जिसका लाभ प्रदान किया जावे । पूर्व में दिनांक 20.01.16 का आपत्ति के साथ पंजीकृत विकय पत्र की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

(36)13 यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

(36).1 संयुक्त स्थल जांच में बिन्दु कमांक 1 से 13 तक प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण नियमानुसार की गई है उक्त भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

(36)2. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र रायगढ़ संदेश दिनांक 18/10/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमी दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/10/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

(36)3. ग्राम जुर्डा तह. रायगढ अंतर्गत है एवं आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत कोई भी आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ को नियत समय सीमा में प्राप्त नही हुई थी।

(36)4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

(36)5. नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित की जा चुकी है। ग्राम जुर्डा में प्रारंभिक अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 30.10.15 के अनुसार 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई थी।

(36)6. ग्राम जुर्डा में पूर्व में भू– अर्जन की कार्यवाही नही हुई। आपत्तिकर्ता द्वारा कि गई आपत्ति अपूर्ण एवं असत्य है।

(36)7. कमिश्नर बिलासपुर,संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना का सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है। इसका उल्लेख धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी किया गया है।

(36)8. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6. एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

(36)9. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

(36)10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरुस्त कर कार्यवाही की जा रही है।

(36)11. दिनांक 02.7.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.7.16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी है।

(36)12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

(36)13. प्रकरण में नियमानुसार अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण पश्चात प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी कर सुना गया है।

37 बुलाउराम पि. दुखुराम जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी अधिग्रहित भूमि खसरा नं. 74/2, 77/1, निवासी ग्राम जुर्डा प.ह.न. 38 तहसील व जिला रायगढ. यह कि मेरे भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसके संबंध में निम्नलिखित आपत्ति आपके समक्ष प्रस्तुत है। अधिग्रहित भूमि के एक ओर लगभग 9 डिस्मिल जमीन बच रहा है, जिसे भी अधिग्रहण किया जाये।. ग्राम जुर्डा के जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य अत्यधिक कम है बाजार मूल्य निकट गांव में स्थित समान प्रकार के जमीन के मूल्य के बराबर किया जाये। मेरे घर के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार नौकरी प्रदान किया जाये।

स्थल जांच में खसरा नं. 74/2 रकबा 0.146 हे. में से 0.040 ,खसरा नं. 77/1 रकबा 0.153 हे. में से 0.053 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है। के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है।. भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार हेतु पुर्नवास नीति कमिश्नर बिलासपुर के द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित योजना के अनुसार प्रभावित परिवारों को वार्षिकी का प्रावधान किया गया है, जो कि रोजगार के स्थान पर होगा।

38 सनतकुमार पिता स्व. लोचनप्रसाद निवेदन है कि बरतराम सनतकुमार वगैरह के नाम से भू अर्जन प्रकरण ग्राम जुर्डा तहसील व जिला रायगढ़ भूमि खसरा नं. 295/2 रकबा 0.032 हे. 324/5 रकबा 0.105 हे. का तैयार किया गया है। उक्त दर्शित भूमि में रकबा अधिक है जिसमें दर्शित भूमि में रकबा 5–5 डि0 बच जा रहा है जो कृषक के उपयोग की नही है। और संपूर्ण भूमि का अर्जन होने से आवेदक को

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्षति हो रही हैउक्त भूमि मे मुआवजा राशि में वृक्ष की संख्या अधिक है और 9 महुआ, 4 साजा, 1 निलगिरी, 2 बुटा बांस, 1 कुआं का मूल्यांकन नही किया गया है और वृक्ष की सूची में दर्ज नही है।बचत रकबा 5 – 5 डि. जिसको अर्जन में नही लिया गया है उसमें 2 महुआ, 1 साजा, 3 रहना, 1 निलगिरी वृक्ष है जो प्रभावित होगा। साथ ही ग्राम कोतरलिया,चिटकाकानी,पंडरीपानी के आधार पर ग्राम जर्डा स्थित भूमि को प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

संयुक्त स्थल जांच में प्रतिवेदन में खसरा नं. 324/5 रकबा 0.105 हे. में से 0.105 हे. 295/5 रकबा 0.077 हे. में से 0.032 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है। के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है।स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 5 नग महुआ, 2 नग साजा, 3 नग रेहनाा, 1 नग, नीम, 1 नग निलगीरी वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

39 पदमावती पति कार्तिक जाति गोंड़ सा. देह भूमि स्वामी यह कि आपत्तिकर्ता की भूमि रेल्वे लाइन हेतु शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया है जो कि 61/4 से रकबा 0.081 हे. स्थित है जिस पर पूरा जमीन नही लिया जा रहा है केवल कुछ हिस्सा लिया जा रहा है। उक्त भूमि में प्रवेश कर कृषि कार्य करना संभव नही है। यह कि उक्त भूमि के संबंध में उचित मौका मुआयना करते हुए उचित मुआवजा राशि निर्धारण किया जावे तथा आवेदक/आपत्तिकर्ता को प्रदान किया जावे।

संयुक्त स्थल जांच में प्रतिवेदन में खसरा नं. 61/4 रकबा 0.198 हे. में से 0.081 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है। के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

40 गोपीराम पिता जनकराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी ख. नं. 79, 566/2 नि. ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 38 तहसील व जिला रायगढ़ यह कि मेरे भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसके संबंध में दावा/आपत्ति सादर प्रस्तुत है। अधिग्रहित भूमि रोड से लगा है इसे ध्यान देते हुए मुआवजा राशि तय कि जाये। अधिग्रहित भूमि में ख. नं. 79 में बोर से सिचित है अन्य संपत्तियों मे संशोधन कि आवश्यकता है। पलास 2 पेड कसही 2 पेड़ स्थित है। ग्राम जुर्डा के जमीन का बाजार मूल्य अत्यधिक कम है बाजार मूल्य निकट गांव में स्थित समान प्रकार के जमीन मूल्य बराबर किया जावे।

संयुक्त स्थल जांच में प्रतिवेदन में ख.न. 79 रकबा 0.232 हे. भूमि पुत्र के बोर से सिंचित दोफसली अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है। स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि पर वृक्ष स्थित नहीं होना पाया गया है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

41 पदमन पिता साहेबो जाति कोलता कुल खसरा उपर्युक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम जुर्डा तहसील जिला रायगढ़ छ.ग. स्थित हमारे निजी भूमि का सार्वजनिक अर्थात औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपके द्वारा अर्जन किया जा रहा है उक्त अर्जित भूमि पर हमारा पूरा परिवार आश्रित है जिससे परिवार का पालन पोषण उक्त भूमि से होता है। आपके द्वारा जारी नोटीस के तहत् दर्शित भूमि कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.373 हे. भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा राशि का ऑकलन वर्तमान में भू–अर्जन अधिनियम धारा 26 क के अनुसार किया जा रहा है जबकि ग्राम जुर्डा के पड़ोसी ग्राम यथा सियारपाली, कोतरलिया तथा पण्डरीपानी की कृषि भूमि का ग्राम जुर्डा से लगा हुआ है इस आधार पर ग्राम जुर्डा की भूमि का मुआवजा ऑकलन उक्त तीनों ग्रामों की दरों में काफी भिन्नता है अर्थात् न्यूनतम है जो कि आपत्तिजनक है इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 300 रकबा 0.069 हे. भूमि जो तालब मद में है जिसे तालाब घोषित किया जावे। अतः ग्राम जुर्डा के भूमि का मुआवजा ऑकालन भू अर्जन अधिनियम की धारा 26 ख के अन्तर्गत आंकलन कर अथवा उक्त तिनों

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

ग्रामों को दी जा रही मुआवजा राशि के समरूप ऑकलन कर मुआवजा राशि स्वीकृत करने का अनुरोध है एवं असमान दर पर हमें आपत्ति है।

संयुक्त स्थल जांच में प्रतिवेदन में खसरा नं. 300 रकबा 0.069 हे. भूमि का मुआवजा गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार निर्धारण किया गया है। तालाब की गणना परिसम्पति मे मुआवजा निर्धारण किया गया है।

42 आनंद पिता रामनाथ जाति कंवर सा.देह भूमि स्वामी अधिग्रहित भूमि का रेखांकन स्पष्ठ नही है अतः अधिग्रहित की जा रही भूमि पुनः स्पष्ठ रेखांकन करने के लिए आदेशित करें। अधिग्रहित भूमि में स्थित संपत्तियों की संख्या में संशोधन कि आवश्यकता है, अतः पुनः गणना कर मूल्यांकन करनें के लिए आदेशित करें। ग्राम जुर्डा के जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य अत्यधिक कम है, यदि इसे ही मूल्य मान्य कर मुआवजे की रकम तय की जाती है तो मुआवजा आपत्तिजनक एवं अस्वीकार्य होगा। आवेदक की भूमि ख.नं. 73/2 रकबा 0.125 हे. एवं खसरा नं 78/5 रकबा 0.967 हे. पुरा रकबा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।

स्थल जांच में मौके पर ख.नं. 73/2 रकबा 0.125 हे. एवं खसरा नं 78/5 रकबा 0.967 हे अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 23 नग खैर, 24 नग महुआ, 40 नग चार, 16 नग पलास, 1 नग नीम, 1 नग कहुआ, 2 नग जामुन 2 नग साजा 4 नग ताल, 2 नग कठली, 9 नग तेन्दु, 1 नग कुम्ही, 1 नग महानीम होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

43 अश्नी कुमार निवेदन है कि आवेदक गोवर्धन पिता विद्याधर जाति धोबा नि. ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 38 कुल खसरा 326/9 रकबा 0.154 हे. भूमि एवं 7 महुआ 3 साजा 2 तेंदु चार 3 खम्हार 3 रेहना 1 वृक्ष जारी नोटिस पर वर्णीत है। यह कि उत्तर दिशा में 5 मीटर एवं दक्षिण में 2 मीटर भूमि एवं बांस 2 भिरहा निलगीरी 2 पेड़ चार 2 पेड़ कसाई 1 पेड़ सेन्हा 1 पेड़ रोहिना 3 पेड़ मौहा 2 पेड़ तेन्दु 1 पेड़ वृक्ष भू–अर्जन से वंचित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त वंचित भूमि एवं वृक्ष का मुआवजा राशि दिलाने कि कृपा करें।

संयुक्त स्थल जांच में मौके पर खसरा 326/9 रकबा 0.154 हे अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 7 नग महुआ, 3 नग साजा, 2 नग तेंन्दु 4 नग चार 3 नग खम्हार, 3 नग रेहना 1 नग बेल 1 नग कसही, 2 नग अन्य वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मूल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है।

44 श्री गोसाई राम प्रधान पिता भागिरथी प्रधान नि.ग्राम जुर्डा ख.नं. 68/3, 69/11, 69/4, 69/9, 94 यह कि मेरे भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसके संबंध में निम्नलिखित दावा/आपत्ति आपके सामने सादर प्रस्तुत है। अधिग्रहित भूमि में 14 व्यक्तियों का नाम उल्लेखित है जबकि आपसी बंटवारे में यह भूमि गोसाईराम प्रधान पिता भागीरथी एवं फगुलाल, रधुवीर एवं सुभाषिनी प्रधान पिता अलेख राम प्रधान के हिस्से में है उपरोक्त मुआवजा राशि इन्हें ही प्रदान किया जावे। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू–अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें।अधिग्रहित की जा रही भूमि एवं भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुल्यांकन अद्यतप अभिलेख के अनुसार किया गया है। और मुआवजा उन्हीं को देय होंगे।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में खसरा नं. 68/3, रकबा 0.008 हे. 69/11,रकबा 0.065 हे. 69/4, रकबा 0. 0065 हे. 69/9, रकबा 0.0.065 हे. 94 रकबा 0.129 हे. भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

45 त्रिलोचन पिता लुकेश्वर जाति भुईया नि.ग्राम जुर्डा निवेदन है कि प्रार्थी त्रिलोचन पिता लुकेश्वर निवासी ग्राम जुर्डा तह.जिला. रायगढ़ का निवासी हूँ। मेरे पिता लुकेश्वर के हक अधिकार में ख.नं. 326/7 रकबा 0.121 हे. का अर्जन औद्योगिक प्रयोजन में किया गया है। मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा ऋण पुस्तिका राजस्व अभिलेख में मेरा नाम दर्ज है जिस कारण से उक्त मुआवजा संबंधी निर्धारण मेरे नाम से किया जावे। दर्शित भूमि अन्य ग्रामो के भूमि से अच्छी किस्म की है तथा मुआवजा राशि का निर्धारण कम होने से आवेदक को क्षति होगी ऐसी स्थिति में उचित मुआवजा राशि निर्धारित किया जावे। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार कर भू अर्जन मुआवजा राशि पिता लुकेश्वर का स्वर्गवास होने से मेरे नाम से निर्धारित कर उचित मुआवजा निर्धारण करने की कृपा करें। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू–अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में ख.नं. 326/7 रकबा 0.121 हे. अधिग्रहित की जा रही भूमि एवं भूमि पर स्थित महुआ –6 नग चार–1 तेदू–1 बीजा–1 नग रैहना –1 पेडों का मुल्यांकन अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

46 जवाहर सिदार पिता गारेख अधिग्रहित भूमि में स्थित सम्पत्तियों की संख्या में संशोधन की आवश्यकता है, भूमि में 43 महुआ पेड़ एवं 5 अन्य पेड़ स्थित है।अधिग्रहित भूमि के एक ओर लगभग 9 डिसमिल जमीन बच रहा है जिसे भी अधिग्रहण किया जाय। ग्राम जुर्डा के जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य अत्यधिक कम है, जबकी मूल्य निकट गांव में स्थित समान प्रकार के जमीन के मुल्य के बराबर किया जाये। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू–अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में खसरा नं. 31/7 रकबा 0.809 हे. मे से रकबा 0.226 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है। के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि पर 19 नग महुआ वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है।

47 दिनेश पिता गंगाराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी यह कि रा.प्र.क. 46 अ42/15–16 के तहत हमारे भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 34/5 रकबा 0.004, 69/7,69/8, 69/10, रकबा 0.108, 76/1 रकबा 0.243, 248/2, रकबा 0.162 कुल खसरा क. 4 कुल रकबा 0.517 हे. कृषि भूमि जिस पर विभिन्न प्रजाति के 52 वृक्ष का औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भू अर्जन किया जा रहा है। जिसमें वृक्षों की संख्या कम आंकी गई है। जिसका पूर्नमुल्यांकन किया जाकर पेड़ो का निर्धारण कर मूल्यांकन किया जावे। यह कि उक्त खसरा नं. की भूमि से 76/1 से पूर्व में मेरे द्वारा तारा पति श्री भोजराम को 0.040 हे. बैनामा दिनांक 12/08/2013 एवं 76/1 से पूर्व में मेरे द्वारा सविता पति श्री भानुप्रताप को 0.040 हे बैनामा दिनांक 12/8/2013 एवं 76/1 से पूर्व में मेरे द्वारा ममता पिता श्री उसतराम को 0.040 हे. बैनामा दिनांक 12/08/2013 एवं 76/1 से पूर्व में मेरे द्वारा शकुन्तला पति परमेश्वर को 0.040 हे. बैनामा दिनांक 12/08/2013 एवं 76/1 से पूर्व में मेरे द्वारा ओम प्रकाश आ.श्री मालिकराम पटेल को 0.040 हे. बैनामा दिनांक 12/08/2013 को विक्रय कर कब्जा दे दिया गया है। उक्तानुसार मेरे द्वारा विक्रय पर दिये जाने से उक्त भूमि का मुआवजा भी प्राप्त नही करना चाहता हूँ। यह कि उपरोक्त खसरा नं. की भूमि जो कि ग्राम जुर्डा में स्थित है जो कि शहर से बहुत ही नजदीक है इस कारण से उक्त भूमि का बाजार भाव अत्यधिक अधिक है। इस कारण से उक्त भूमि को बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा निर्धारित की जावे तथा शासन द्वारा निर्धारित दर कम होने से आवेदक को अनुचित हानि हो रही है। यह कि हम शासन द्वारा किये जा रहे भू अर्जन से प्रभावित हो रहे है इसलिये हमारे परिवार के आश्रित व्यक्तियों को शासन द्वारा रोजगार हेतु नौकरी दिलवाया जावे। यह कि हमारी उक्त खसरा नं. की भूमि की मध्य से भूमि को भू अर्जन में ली जा रही है जिसके दोनो क्षोर में बहुत ही कम रकबा बचत होने से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करना संभव नहीं है एवं कृषि कार्य हेतु भूमि उपयोग की नही

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

रह जावेगी इस कारण से भी उक्त भूमियों को भू अर्जन में ली जाकर मुआवजा निर्धारित किया जाकर मुआवजा दी जावे। अतः माननीय नियालय से निवेदन है कि आपत्ति स्वीकार किया जाकर भू अर्जन आवेदक द्वारा दिये गये आधारों पर बचत भूमि को हीं भू अर्जन में लिया जाकर मुआवजा निर्धारित कर भू अर्जन किया जाकर शासन द्वारा दिये गये निर्देश के आधार पर तथा हमारे परिवार के आश्रित व्यक्यिों को शासन द्वारा रोजगार हेतु नौकरी दिलाया जावे।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में खसरा नं. कमशः34/5 रकबा 0.178 हे. में से 0.004,खसरा नं. 69/7,69/8,69/10 रकबा 0.279 हे. में से 0.108 खसरा नं. 76/1 रकबा 0.405 हे. में से 0.243 हे. खसरा नं. 248/2 रकबा 0.809 हे. में से 0.162 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है। के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है। अधिग्रहित की जा रही भूमि एवं भूमि पर स्थित का मुल्यांकन अद्यतप अभिलेख के अनुसार किया गया है। और मुआवजा उन्हीं को देय होंगे। स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 23 नग महुआ, 8 नग चार, 3 नग खैर, 3 नग साजा, 3 नग कुम्ही, 1 नग कसही, 1 नग तेन्दु 1 नग पलास वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है। उक्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार हेतु पुर्नवास नीति कमिश्नर बिलासपुर के द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित योजना के अनुसार प्रभावित परिवारों को वार्षिकी का प्रावधान किया गया है, जो कि रोजगार के स्थान पर होगा।

48 टिकाराम पिता जनकराम खसरा नं. 64/1 रकबा 0.170 हे. भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने का उल्लेख करते हुए संबंधित अनावेदक खातेदार को अपने हित अधिकारी मुआवाजा राशि भूमि पर अधिकार के फलस्वरूप मुआवजा में हित संबंधि दावे तथा भूमि के साथ 27/06/2016 को न्यायालय भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रदया किया गया है। यह कि अनावेदक के उपरोक्त उल्लेखित खसरा नं. के कुछ भागों पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन करने संबंधि कार्यवाही की जा रही है अनावेदक का एक मात्र आय का जरिया कृषि है तथा कृषि पर ही अपने परिवार का जीवन –यापन करते हैं इस कारण उपरोक्त उल्लेखित भूमि को भू अर्जन से मुक्त किया जावे अन्यथा उपरोक्त उल्लेखित खसरा नम्बर के शेष बचत भूमि पर कोई भी कृषि कार्य हो पाना सम्भव नहीं है, इस कारण मुआवजा राशि दिया जाना न्यायोचित होगा अनावेदक के भूमि का मुआवजा जुर्डा स्थित आस पास के ग्रामो के मुआवजा नुसार मुआवजा दिया जावे।यह कि अनावेदक के उपरोक्त उल्लेखित भूमि में जामुन 01, चर 04 पलास 06 महुआ 7, सरसीवां 1, धोबनी 1 साजा 1, पेड़ का ही उल्लेख है परन्तु प्रभावति स्थल पर छोटी छोटी अनेकों वृक्ष है। उनाक कोई भी ऑकलन नहीं किया गया है जिसका जॉच किया जाकर समुचित मुआवजा राशि अनावेदक को भुगतान किया जाना न्यायोचित होगा। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू–अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में खसरा नं. 64/1 रकबा 0.777 हे. में से 0.170 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है, के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि पर 1 नग जामुन, 4 नग चार, 7 नग महुआ, 1 नग सरसिंवा 1 नग कुम्हीं, 2 नग साजा वृक्ष स्थित होना पाया गया है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

49 महेशराम भगतराम पि. टीकाराम दाताराम,गनपत पिता लेखराम जाति अघरिया सा0देह भूमि स्वामी यह कि अनावेदक के ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 38 स्थित अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 18, 51, 51, 52, 53,व 98/1 रकबा कमशः 0.182, 0.040, 0.020, 0.287, 0.040 एवं 0.008 हे. भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने का उल्लेख करते हुए संबंधित अनावेदक खातेदार को अपने हित अधिकारी मुआवाजा राशि भूमि पर अधिकार के फलस्वरूप मुआवजा में हित संबंधि दावे तथा भूमि के साथ 27/06/2016 को न्यायालय भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रदया किया गया है।यह कि अनावेदक के उपरोक्त उल्लेखित खसरा नं. के कुछ भागों पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन करने संबंधि कार्यवाही की जा रही है अनावेदक का एक मात्र आय का जरिया कृषि है तथा कृषि पर ही अपने परिवार का जीवन –यापन करते हैं इस कारण उपरोक्त उल्लेखित भूमि को भू अर्जन से मुक्त किया जावे अन्यथा उपरोक्त उल्लेखित खसरा नम्बर के शेष बचत भूमि पर कोई भी कृषि कार्य हो पाना सम्भव नहीं है, इस कारण मुआवजा राशि दिया जाना न्यायोचित होगा अनावेदक के भूमि का मुआवजा जुर्डा स्थित आस पास के ग्रामो के मुआवजा नुसार मुआवजा दिया जावे। यह कि अनावेदक के उपरोक्त उल्लेखित भूमियों में 6 एवं 3 नग महुआ पेड़ का ही उल्लेख है, परन्तु प्रभावित स्थलों पर छोटी छोटी अनेकों वृक्ष है। उनाक कोई भी ऑकलन नहीं किया गया है जिसका जॉच किया जाकर समुचित मुआवजा राशि अनावेदक को भुगतान किया जाना न्यायोचित होगा। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू–अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में कमशः खसरा नं. 18, 51, 52, 53, 58/1 रकबा कमशः 0.680, 0.158, 0.287, 0.040, 0.053 हे. में से 0.182, 0.060, 0.287, 0.040, 0.008 हे. भूमि स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही है , के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि पर 1 नग केकट, 4 नग कुम्ही, 7 नग महुआ 2 नग पलास 2 नग नीम 1 नग कसही, 1 नग बबूल 3

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

नग साजा, वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है।

50 पंडितराम पिता हरिधर जाति अघरिया ग्राम जुर्डा निवेदन है कि पंडितराम पिता हरिधर जाति अघरिया के हक अधिकार में ग्राम जुर्डा में खसरा नं. 130 रकबा 0.323 हे0 स्थित है उक्त दर्शित भूमि रायगढ़ से लोईंग मार्ग से 100 मीटर की दुरी पर स्थित है जो भूमि काफी कीमती है। भूमि का अर्जन जो औद्योगिक परियोजन में किया गया है ग्राम जुर्डा की भूमि का मुआवजा मुल्यांकन अतयंन्त कम है जबकी कोतरलिया, कोटरापाली, पंडरीपानी, चिटकाकानी, सियारपानी की भूमियों से अत्यन्त कम है। मैन रोड़ से 100 मीटर की उक्त भूमि की दुरी तथा अन्य ग्राम से अधिक किमती भूमि होने से भू अर्जन का मुल्यांकन अधिक दर पर किया जावेगा।दर्शित भूमि जिसका अर्जन किया गया है उसमें शेष बचत रकबा चारो ओर से अधिक बच जा रहा है जिससे आर्थिक क्षति होगी चूँकी वह कृषि योग्य नहीं होगा। ऐसी स्थिती मे संपूर्ण भूमि का मुआवजा निर्धारित किया जावे।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में खसरा नं. 130 रकबा 0.494 हे. में से 0.323 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है। के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

51 सतिश कुमार मिश्रा आ0 स्व.रामहरि मिश्रा निवासी ग्राम जुर्डा यह कि आवेदन पत्र में अंकित जो नोटिस में दर्शित है ख.नं. 272/10, 273/10, 274/10 रकबा 0.089 हे. भूमि आपत्तिकर्ता की स्व अर्जित भूमि में आता है यह भूमि .आपत्तिकर्ता द्वारा मकान बाड़ी बनाने हेतु अर्जित किया था जिसमें पल्लव कुमार मिश्रा जो उसका भतीजा है एवं वर्तमान में बेरोजगार है अंकित है।यह कि आपत्तिकर्ता पल्लव कुमार की नौकरी जो कम्प्यूटर ट्रेन्ड है कम्पनी में दिलाये जाने की पात्रता रखता है अतः उक्त पल्लव मिश्रा को नौकरी दिलायी जावे।यह कि आपत्तिकर्ता के नाम पर चेक जारी किया जाकर उसके भतीजा पल्लव मिश्रा को कम्पनी में रोजगार दिलाया जावे।. यह कि आपत्तिकर्ता के पुत्र भावेश कुमार मिश्रा भी बेरोजगार है अतः उसे भी कम्पनी में नौकरी दी जावे। यह कि उक्त भूमि में मौहा झाड़ 6 नग, आम पेड़1, नीम पेड़ 1 कसई पेड़ 1 नग 2 पेड़ चार , गुलमोहर का 3 नग अन्य 1 नग तथा केंकट 1 नग फरसा 2 नग महानीम का 1 नग पेड़ कुल 19 पेड़ स्थित है जिसे नोटिस में नही दर्शाया गया है जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रूपये होगी अतः उक्त रकम आपत्तिकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।यह कि चूकि भूमि मकान हेतु क्रय करके के रखा गया है अतः परिवर्तित भूमि की दर से मुआवजा दिलायी जावे। यह की आपत्तिकर्ता के नाम पर चेक जारी किया जाकर उसके भतिजा पल्लव मिश्रा मो कम्पनी में रोजगार दिलाया जावे।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि खसरा नं. 272/10, 273/10, 274/10 रकबा 0.089 हे. भूमि रेल लाईन में प्रभावित नहीं हो रही है।अतः आपत्तिकर्ता का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

52 डिलेश्वर माझी पिता स्व. श्री नरसिंह माझी विषयांतर्गत लेख है कि मैं डिलेश्वर माझी पिता स्व. नरसिंह माझी जाति भुमिंया सा. देह भूमि स्वमी खसरा नं. 61/1 निवासी ग्राम जुर्डा यह की मेरे भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके संबंध में निम्नलिखित दावा आपत्तियां आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है।– अधिग्रहित भूमि का रेंखांकन स्पष्ट नहीं है अतः अधिग्रहित की जा रही भूमि के क्षेत्रफल का पुनः स्पष्ट रेखांकन करने के लिये आदेशित करें। अधिग्रहित भूमि में स्थित सम्पत्तियों की संख्या में संशोधन की आवश्यकता है, अतः पुनः गणना कर मूल्यांकन करने के लिये आदेशित करें ग्राम जुर्डा के जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य अत्यधिक कम है, यदि इसे ही मूल्य मान्य कर मुआवजे की रकम तय की जाती है तो मुआवजा आपत्ति जनक एवं अस्वीकार्य होगा। अतः महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आपत्तियां पर विचार कर संबंधित विभाग को आदेशित करने की कृपा करे।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

संयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. 61/1 रकबा 0.180 हे. में से 0.081 हे. भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। उक्त अधिग्रहित भूमि पर 2 नग पलास वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

53 आपत्तिकर्ता पुरूषोतम राठिया ग्राम जुर्डा,द्वारा निम्न बिन्दु पर निम्नानुसार आपत्ति प्रस्तुत की है:–

1. यह कि आपत्तिकर्ता की भूमि ग्राम जुर्डा, प.ह.नं. 30 तह व जिला रायगढ़ में भूमि ख.नं. 35/4क रकबा 0.202 हे. खसरा नं. 166/3 167/2 रकबा 0.028 भूमि अधिग्रहण किये जाने का का प्रस्तावित है जिस पर अधिग्रहण भूमि में से कुछ हिस्सा शेष बचत हो रही है जो की प्रवेश कर कृषि कार्य में असुविधा होगी । यह कि उक्त भूमि दो फसली है अधिग्रहण में चले जाने से आपत्तिकर्ता को अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा तथा आर्थिक कठिनाईयां का सामना करना पड़ेगा। यह कि उक्त भूमि संबंध में हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक के द्वारा मौका जॉच किया जाकर उचित मुआवजा राशि निर्धारण किया जाकर मुआवजा राशि निर्धारण किया जावे।

2. उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू–अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें।

संयुक्त स्थल जांच में आपत्ति के संबंध में बिन्दु क. 1 से 2 का निराकरण निम्नानुसार है:–ख.नं. 35/4क, रकबा 0.779 में से 0.202 एवं खसरा नं. 166/2,167/2 रकबा 0.268 में से रकबा 0.028 हे० भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। के अतिरिक्त शेष बचत भूमि को अधिग्रहण करने कि आवश्यकता नहीं है। उक्त नीजी नलकूल से सिंचित दोफसली दर पर भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

54 आपत्तिकर्ता मंगलप्रसाद पटेल द्वारा निवेदन किया है कि मंगल प्रसाद पिता दयाराम के हक अधिकार में भूमि खसरा नं. 68/1, 341/2, 344/1 347/1 रकबा 0.056, 0.259, 0.012, 0.012, 0.085 हे का औद्योगिक प्रयोजन में अर्जन किया गया है। उक्त दर्शित भूमि वृक्षों की संख्या अधिक है जिससे आम,6 खरसल पेड़ है जिनका गणना नहीं किया गया है। शेष बचत भूमि भू अर्जन न होने से अयोग्य हो जावेगी जिससे आवेदक को आर्थिक क्षति होगी ऐसी स्थिति में दर्शित रकबा की संपूर्ण भूमि को भू अर्जन किया जाना उचित है। उक्त भूमि का मुआवजा राशि अत्यंत कम किया गया है जबकी ग्राम कोतरलिया, चिटकाकानी पंडरीपानी की भूमि का मुआवजा अधिक निर्धारित किया गया है ऐसी स्थिति में आर्थिक क्षति हो रही है।उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू–अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है। अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के वाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. 68/1, 341/2, 344/1 347/1 रकबा 0.056, 0.259, 0.012, 0.012, 0.085 हे भूमि अधिग्रहित की जा रही है उक्त भूमि पर 7 नग महुआ 4 नग साजा 1 नग रिंया, 1 नग नीम, 4 नग खम्हार, 1 नग रेहना, 2 नग तेन्दु, 1 नग बेहरा, 1 नग कोरिया, 1 नग आम 9 नग अन्य वृक्ष स्थित होना पाया गया है। जिसका मुल्यांकन परिगणना गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार किया गया है।

55. अजय अग्रवाल पिता प्रहलाद अग्रवाल गांधीगंज रायगढ़ 1 श्रीमती कविता अग्रवाल पति विजय अग्रवाल इतवारी बाजार रायगढ़ 2 बसंत अग्रवाल पिता प्रहलाद अग्रवाल गांधीगंज रायगढ़ 3 रवि गुप्ता पिता सुरेश कुमार गुप्ता मंदिर चौक रायगढ़ 4. इमरान हुसैन पिता मुर्तजा हुसैन बीड़पारा रायगढ़ 5 जावेद खान पिता जलील अहमद बीड़पारा रायगढ़ 6 नितिश शर्मा पिता स्व. कृष्णा अवतार दानिपारा रायगढ़ 7 पंकज गुप्ता पिता सुरेश कुमार गुप्ता मंदिर चौक रायगढ़ 8 पवन शर्मा पिता विमल कुमार शर्मा दानीपारा रायगढ़ 9. नवीन शर्मा पिता स्व. कृष्णअवतार शर्मा दानीपारा रायगढ़ 10. श्रीमती लक्ष्मीदेवी अग्रवाल वल्द शंकरलाल अग्रवाल बोईरदादर मालीडीपा रायगढ़ द्वारा आपत्ति बिन्दुवार किया गया है जो निम्नानुसार है

1. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

2. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

3. यह कि रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेशित किया गया था कि भू–अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

द्वारा पारित आदेश को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पालन किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क्र. 1507/2016,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी परिस्थिति में बिना निराकरण के भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

7. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

8. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

9. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

10. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

1. कमिश्नर बिलासपुर,संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना का सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है। इसका उल्लेख धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

3. रेंगालपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित शोभा अग्रवाल की रिट पिटिशन कमांक ँच्ब1508/ 2016 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधिन है एवं छ.ग. शासन द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जाएगा। संदर्भित रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान में विचाराधिन है।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित की जा चुकी है। ग्राम जुर्डा में प्रारंभिक अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 30.10.15 के अनुसार 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई थी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

6. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6. एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

7. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

8. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–
   1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
   2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/egazette)ई–राजपत्र–दिनांक 2/10/2015
   3. स्थानीय समाचार पत्र रायगढ़ संदेश दिनांक 18/10/2015
   4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमि दिनांक 18/10/2015
   5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/11/2015

   उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

9 भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरुस्त कर कार्यवाही की जा रही है।

10. प्रकरण में नियमानुसार अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण पश्चात प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी कर सुना गया है।

11. दिनांक 02.7.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.7.16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी है।

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

56. संजय आ. स्व. राधेश्याम,सीमा अग्रवाल पति संजय गांधीगंज रायगढ़ 1. प्रकाश श्रीवास्तव, मोहनलाल, हेमलता श्रीवास्तव मोहनलाल चकधर नगर रायगढ़ 2 मे. शमीम रायगढ़ 3 रमेश कुमार बैकुण्ठपुर रायगढ़

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

1. यह कि दिनांक 27.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

2. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

3. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू – अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

4. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण में आता है। तथा टुकड़ा नक्शा का बटांकन विधिवत नहीं किया गया है।

5. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है।

6. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

7. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

8. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

9. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू– अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना /जानकारी देने के उपरांत ही भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी. लारा के परियोजना की भांति इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़े । यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के संवैधानिक हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

10. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

11. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम – गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति वर्गफूट वर्ष 14–15 की गाईड लाईन की दर से मुआवजा प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

.1 नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित की जा चुकी है। ग्राम जुर्डा में प्रारंभिक अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 30.10.15 के अनुसार 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई थी।

2. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

3\. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाइम्स दिनांक 24/10/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 26/10/2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 30/10/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

4 भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरुस्त कर कार्यवाही की जा रही है।

5 भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

6\. कमिश्नर बिलासपुर,संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना का सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है। इसका उल्लेख धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी किया गया है।

7\. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

8\. दिनांक 02.7.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.7.16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी है।

9 प्रकरण में नियमानुसार अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण पश्चात प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी कर सुना गया है।

10\. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6. एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

11\. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुर्नवास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

57 मानसी आ0 रवि श्रीवास्तव ना.बा. मेघा आ. प्रकाश नि.डिग्री कालेज रोड़ रायगढ़ 81. ना.बा. परमजीत कौर वल्द गुरमीत सिंह लाम्बा पालक नानी बलजीत कौर पति अजीत सिंह लालटंकी रोड़ रायगढ़ 82.बलजीत कौर पति अजीत सिंह लालटंकी रोड़ रायगढ़ 83. ना.बा. प्रमदीप सिंह पिता गरमीत सिंह लाम्बा पालक नाना अजित सिंह लालटंकी रोड़ रायगढ़ 84. अजित सिंह पिता मोहर सिह रायगढ़ 85. हरप्रित सिंह गुजराल पिता भुपेन्द्र सिंह गुजराल नि. दरोगापारा सिविल लाईन रायगढ़ 86. ना.बा. तनवीर साजमती वगै0सलूजा

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निररतर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

2. यह कि रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेशित किया गया था कि भू–अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पालन किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क्र. 1507/16,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी परिस्थिति में बिना निराकरण के भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

3. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

4. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

5. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

6. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित हैं।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

7. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

2 रेंगालपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित शोभा अग्रवाल की रिट पिटिशन कमांक च्च1508 / 2016 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधिन है एवं छ.ग. शासन द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जाएगा। संदर्भित रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान में विचाराधिन है।

3. . धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette)
   ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र रायगढ़ संदेश दिनांक 18/10/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमी दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/10/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

4. कमिश्नर बिलासपुर,संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना का सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है। इसका उल्लेख धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी किया गया है।

5. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6. एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

6. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

7. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरुस्त कर कार्यवाही की जा रही है।

58 तारा पति भोजराम निवासी ग्राम जुर्डा

1. यह कि रा.प्र.क.46अ–42/15–16 के तहत हमारे भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं.34/5 रकबा 0.004, 69/7,69/8,69/10 रकबा 0.108, 76/1 रकबा 0.243,248/2,रकबा 0.162 कुल खसरा क. 4 कुल रकबा 0.517 हे. का अनावेदक दिनेश पटेल आ. गंगाराम अघरिया के नाम पर उक्त कृषि भूमि जिस पर विभिन्न प्रजाति के 52 वृक्ष का औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भू अर्जन किया जा रहा है।

2. यह कि उक्त खसरा नं. की भूमि में से 76/1 से पर्व में मेरे द्वारा विधिवत पंजीकृत बैनामा दिनांक 12.08.2013 के माध्यम से विकेता दिनेश आ. गंगाराम अघरिया संबंधित राजस्व प्राधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाकर खसरा नं. बटांकन के पश्चात 76/1/5 रकबा 0.040 हे. दर्ज किया जाकर किसान किताब आपत्तिकर्ता के पक्ष में जारि किया गया है।

3. यह कि आपत्तिकर्ता की जानकारी के बगैर शासन के द्वारा राजस्व प्रकरण क. 673/अ–6/2014–15 आदेश दिनांक 13/07/2015 के आधार पर आपत्तिकर्ता को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बगैर उक्त नामान्तरण निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।जो वि विचाराधीन है। जिसमें आवेदक /आपत्तिकर्ता को सफलता मिलने की पूरी संभावना है।उरोक्तानुसार उक्त भूमि को आवेदक के द्वारा कय किये जाने उक्त भूमि को भू अर्जन किया जाकर विधिवत शासन द्वारा दये गये निर्देर्शो के परिप्रेक्ष्य में मुआवजा तथा रोजगार निर्धारित करते हुये उक्त भूमि का भू अर्जन किया जावे।

4. यह कि उपरोक्त खसरा नं. की भूमि जो कि ग्राम जुर्डा में स्थित है जो कि शहर से बहुत ही नजदीक है इस कारण से उक्त भूमि का बाजार भाव अत्यधिक है। इस कारण से उक्त भूमि को बजार भाव के हिसाब से मुआवजा निर्धारित की जावे तथा शासन द्वारा निर्धारित दर कम होने से आवेदक को अनुचित हानि हो रही है।

5. यह कि हम शासन द्वारा किये जा रहे भू अर्जन से प्रभावित हो रहे है इसलिये हमारे परिवार के आश्रित व्यक्तियों को शासन द्वारा रोजगार हेतु नौकरी दिलवाया जावे।

6. यह कि हमारी उक्त खसरा नं. की भूमि की मध्य से भूमि को भू अर्जन में ली जा रही है जिसके दोनो क्षोर में बहुत हीं कम रकबा बचत होने से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करना संभव नहीं है एवं कृषि कार्य हेतु भूमि उपयोग की नहीं रह जावेगी इस कारण से भी उक्त भूमियों को भू अर्जन में ली जाकर मुआवजा निर्धारित किया जाकर मुआवजा दी जावे।

अधिग्रहित की जा रही भूमि ख नं. 76/1 रकबा 0.243 हे. भूमि अद्यतन अभिलेख अनुसार दिनेश पिता गंगाराम अघरिया के नाम पर मुआवजा पत्रक तैयार किया गया है।

59 ममता पिता श्री उसतराम, निवासी ग्राम जुर्डा

1. यह कि रा.प्र.क.46अ–42/15–16 के तहत हमारे भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं.34/5 रकबा 0.004, 69/7,69/8,69/10 रकबा 0.108, 76/1 रकबा 0.243,248/2,रकबा 0.162 कुल खसरा क. 4 कुल रकबा 0.517 हे. का अनावेदक दिनेश पटेल आ. गंगाराम अघरिया के नाम पर उक्त कृषि भूमि जिस पर विभिन्न प्रजाति के 52 वृक्ष का औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भू अर्जन किया जा रहा है।.

2. यह कि उक्त खसरा नं. की भूमि में से 76/1 से पर्व में मेरे द्वारा विधिवत पंजीकृत बैनामा दिनांक 12.08.2013 के माध्यम से विकेता दिनेश आ. गंगाराम अघरिया संबंधित राजस्व प्राधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाकर खसरा नं. बटांकन के पश्चात 76/1/6 रकबा 0.040 हे. दर्ज किया जाकर किसान किताब आपत्तिकर्ता के पक्ष में जारी किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

3. यह कि आपत्तिकर्ता की जानकारी के बगैर शासन के द्वारा राजस्व प्रकरण क. 673/अ–6/2014–15 आदेश दिनांक 13/07/2015 के आधार पर आपत्तिकर्ता को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बगैर उक्त नामान्तरण निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।जो वि विचाराधीन है। जिसमें आवेदक /आपत्तिकर्ता को सफलता मिलने की पूरी संभावना है।उरोक्तानुसार उक्त भूमि को आवेदक के द्वारा कय किये जाने उक्त भूमि को भू अर्जन किया जाकर विधिवत शासन द्वारा दये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मुआवजा तथा रोजगार निर्धारित करते हुये उक्त भूमि का भू अर्जन किया जावे।

4. यह कि उपरोक्त खसरा नं. की भूमि जो कि ग्राम जुर्डा में स्थित है जो कि शहर से बहुत ही नजदीक है इस कारण से उक्त भूमि का बाजार भाव अत्यधिक है। इस कारण से उक्त भूमि को बजार भाव के हिसाब से मुआवजा निर्धारित की जावे तथा शासन द्वारा निर्धारित दर कम होने से आवेदक को अनुचित हानि हो रही है।

5. यह कि हम शासन द्वारा किये जा रहे भू अर्जन से प्रभावित हो रहे है इसलिये हमारे परिवार के आश्रित व्यक्तियों को शासन द्वारा रोजगार हेतु नौकरी दिलवाया जावे।

6. यह कि हमारी उक्त खसरा नं. की भूमि की मध्य से भूमि को भू अर्जन में ली जा रही है जिसके दोनो क्षोर में बहुत हीं कम रकबा बचत होने से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करना संभव नहीं है एवं कृषि कार्य हेतु भूमि उपयोग की नहीं रह जावेगी इस कारण से भी उक्त भूमियों को भू अर्जन में ली जाकर मुआवजा निर्धारित किया जाकर मुआवजा दी जावे।

अधिग्रहित की जा रही भूमि ख नं. 76/1 रकबा 0.243 हे. भूमि अद्यतन अभिलेख अनुसार दिनेश पिता गंगाराम् अघरिया के नाम पर मुआवजा पत्रक तैयार किया गया है।

60 सविता पति श्री भानूप्रताप निवासी ग्राम जुर्डा

1. यह कि रा.प्र.क.46अ–42/15–16 के तहत हमारे भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं.34/5 रकबा 0.004, 69/7,69/8,69/10 रकबा 0.108, 76/1 रकबा 0.243,248/2,रकबा 0.162 कुल खसरा क. 4 कुल रकबा 0.517 हे. का अनावेदक दिनेश पटेल आ. गंगाराम अघरिया के नाम पर उक्त कृषि भूमि जिस पर विभिन्न प्रजाति के 52 वृक्ष का औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भू अर्जन किया जा रहा है।

2. यह कि उक्त खसरा नं. की भूमि में से 76/1 से पर्व में मेरे द्वारा विधिवत पंजीकृत बैनामा दिनांक 12.08.2013 के माध्यम से विकेता दिनेश आ. गंगाराम अघरिया संवंधित राजस्व प्राधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाकर खसरा नं. बटांकन के पश्चात 76/1/7 रकबा 0.040 हे. दर्ज किया जाकर किसान किताब आपत्तिकर्ता के पक्ष में जारि किया गया है

3. यह कि आपत्तिकर्ता की जानकारी के बगैर शासन के द्वारा राजस्व प्रकरण क. 673/अ–6/2014–15 आदेश दिनांक 13/07/2015 के आधार पर आपत्तिकर्ता को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बगैर उक्त नामान्तरण निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।जो वि विचाराधीन है। जिसमें आवेदक /आपत्तिकर्ता को सफलता मिलने की पूरी संभावना है।उरोक्तानुसार उक्त भूमि को आवेदक के द्वारा कय किये जाने उक्त भूमि को भू अर्जन किया जाकर विधिवत शासन द्वारा दये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मुआवजा तथा रोजगार निर्धारित करते हुये उक्त भूमि का भू अर्जन किया जावे।

4. यह कि उपरोक्त खसरा नं. की भूमि जो कि ग्राम जुर्डा में स्थित है जो कि शहर से बहुत ही नजदीक है इस कारण से उक्त भूमि का बाजार भाव अत्यधिक है। इस कारण से उक्त भूमि को बजार भाव के हिसाब से मुआवजा निर्धारित की जावे तथा शासन द्वारा निर्धारित दर कम होने से आवेदक को अनुचित हानि हो रही है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

5. यह कि हम शासन द्वारा किये जा रहे भू अर्जन से प्रभावित हो रहे है इसलिये हमारे परिवार के आश्रित व्यक्तियों को शासन द्वारा रोजगार हेतु नौकरी दिलवाया जावे। दृ

6. यह कि हमारी उक्त खसरा नं. की भूमि की मध्य से भूमि को भू अर्जन में ली जा रही है जिसके दोनो क्षोर में बहुत हीं कम रकबा बचत होने से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करना संभव नहीं है एवं कृषि कार्य हेतु भूमि उपयोग की नहीं रह जावेगी इस कारण से भी उक्त भूमियों को भू अर्जन में ली जाकर मुआवजा निर्धारित किया जाकर मुआवजा दी जावे।

अधिग्रहित की जा रही भूमि ख नं. 76/1 रकबा 0.243 हे. भूमि अद्यतन अभिलेख अनुसार दिनेश पिता गंगाराम अघरिया के नाम पर मुआवजा पत्रक तैयार किया गया है।

61 ओम प्रकाश पिता मालिकराम पटेल, जाति अघरिया निवासी ग्रामी जुर्डा यह कि रा.प्र.क. 46अ–42/15–16 के तहत हमारे भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं.34/5 रकबा 0.004, 69/7,69/8,69/10 रकबा 0.108, 76/1 रकबा 0.243,248/2,रकबा 0.162 कुल खसरा क. 4 कुल रकबा 0.517 हे. का अनावेदक दिनेश पटेल आ. गंगाराम अघरिया के नाम पर उक्त कृषि भूमि जिस पर विभिन्न प्रजाति के 52 वृक्ष का औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भू अर्जन किया जा रहा है। यह कि उक्त खसरा नं. की भूमि में से 76/1 से पर्व में मेरे द्वारा विधिवत पंजीकृत बैनामा दिनांक 12.08.2013 के माध्यम से विकेता दिनेश आ. गंगाराम अघरिया संबंधित राजस्व प्राधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाकर खसरा नं. बटांकन के पश्चात 76/1/8 रकबा 0.040 हे. दर्ज किया जाकर किसान किताब आपत्तिकर्ता के पक्ष में जारि किया गया है। यह कि आपत्तिकर्ता की जानकारी के बगैर शासन के द्वारा राजस्व प्रकरण क. 673/अ–6/2014–15 आदेश दिनांक 13/07/2015 के आधार पर आपत्तिकर्ता को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बगैर उक्त नामान्तरण निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।जो वि विचाराधीन है। जिसमें आवेदक /आपत्तिकर्ता को सफलता मिलने की पूरी संभावना है।उरोक्तानुसार उक्त भूमि को आवेदक के द्वारा कय किये जाने उक्त भूमि को भू अर्जन किया जाकर विधिवत शासन द्वारा दये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मुआवजा तथा रोजगार निर्धारित करते हुये उक्त भूमि का भू अर्जन किया जावे। यह कि उपरोक्त खसरा नं. की भूमि जो कि ग्राम जुर्डा में स्थित है जो कि शहर से बहुत ही नजदीक है इस कारण से उक्त भूमि का बाजार भाव अत्यधिक है। इस कारण से उक्त भूमि को बजार भाव के हिसाब से मुआवजा निर्धारित की जावे तथा शासन द्वारा निर्धारित दर कम होने से आवेदक को अनुचित हानि हो रही है। यह कि हम शासन द्वारा किये जा रहे भू अर्जन से प्रभावित हो रहे है इसलिये हमारे परिवार के आश्रित व्यक्तियों को शासन द्वारा रोजगार हेतु नौकरी दिलवाया जावे। यह कि हमारी उक्त खसरा नं. की भूमि की मध्य से भूमि को भू अर्जन में ली जा रही है जिसके दोनो क्षोर में बहुत हीं कम रकबा बचत होने से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करना संभव नहीं है एवं कृषि कार्य हेतु भूमि उपयोग की नहीं रह जावेगी इस कारण से भी उक्त भूमियों को भू अर्जन में ली जाकर मुआवजा निर्धारित किया जाकर मुआवजा दी जावे।

अधिग्रहित की जा रही भूमि ख नं. 76/1 रकबा 0.243 हे. भूमि अद्यतन अभिलेख अनुसार दिनेश पिता गंगाराम अघरिया के नाम पर मुआवजा पत्रक तैयार किया गया है।

62 शकुन्तला पति श्री परमेश्वर, निवासी ग्राम जुर्डा यह कि रा.प्र.क.46अ–42/15–16 के तहत हमारे भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं.34/5 रकबा 0.004, 69/7,69/8,69/10 रकबा 0.108, 76/1 रकबा 0.243,248/2,रकबा 0.162 कुल खसरा क. 4 कुल रकबा 0.517 हे. का अनावेदक दिनेश पटेल आ. गंगाराम अघरिया के नाम पर उक्त कृषि भूमि जिस पर विभिन्न प्रजाति के 52 वृक्ष का औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भू अर्जन किया जा रहा है।. यह कि उक्त खसरा नं. की भूमि में से 76/1 से पर्व में मेरे द्वारा विधिवत पंजीकृत बैनामा दिनांक 12.08.2013 के माध्यम से विकेता दिनेश आ. गंगाराम अघरिया संबंधित राजस्व प्राधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाकर खसरा नं. बटांकन के पश्चात 76/1/4 रकबा 0.040 हे. दर्ज किया जाकर किसान किताब आपत्तिकर्ता के पक्ष में जारि किया गया है। यह कि

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.,
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

आपत्तिकर्ता की जानकारी के बगैर शासन के द्वारा राजस्व प्रकरण क. 673/अ-6/2014-15 आदेश दिनांक 13/07/2015 के आधार पर आपत्तिकर्ता को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बगैर उक्त नामान्तरण निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।जो वि विचाराधीन है। जिसमें आवेदक /आपत्तिकर्ता को सफलता मिलने की पूरी संभावना है।उरोक्तानुसार उक्त भूमि को आवेदक के द्वारा कय किये जाने उक्त भूमि को भू अर्जन किया जाकर विधिवत शासन द्वारा दये गये निर्देशो के परिप्रेक्ष्य में मुआवजा तथा रोजगार निर्धारित करते हुये उक्त भूमि का भू अर्जन किया जावे। यह कि उपरोक्त खसरा नं. की भूमि जो कि ग्राम जुर्डा में स्थित है जो कि शहर से बहुत ही नजदीक है इस कारण से उक्त भूमि का बाजार भाव अत्यधिक है। इस कारण से उक्त भूमि को बजार भाव के हिसाब से मुआवजा निर्धारित की जावे तथा शासन द्वारा निर्धारित दर कम होने से आवेदक को अनुचित हानि हो रही है। यह कि हम शासन द्वारा किये जा रहे भू अर्जन से प्रभावित हो रहे है इसलिये हमारे परिवार के आश्रित व्यक्तियों को शासन द्वारा रोजगार हेतु नौकरी दिलवाया जावे। यह कि हमारी उक्त खसरा नं. की भूमि की मध्य से भूमि को भू अर्जन में ली जा रही है जिसके दोनो क्षोर में बहुत हीं कम रकबा बचत होने से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करना संभव नहीं है एवं कृषि कार्य हेतु भूमि उपयोग की नहीं रह जावेगी इस कारण से भी उक्त भूमियों को भू अर्जन में ली जाकर मुआवजा निर्धारित किया जाकर मुआवजा दी जावे।

अधिग्रहित की जा रही भूमि ख नं. 76/1 रकबा 0.243 हे. भूमि अद्यतन अभिलेख अनुसार दिनेश पिता गंगाराम अघरिया के नाम पर मुआवजा पत्रक तैयार किया गया है।

63 गोकुल पिता सुकरू ग्राम जुर्डा निवेदन है कि ग्राम जुर्डा मे भूमि ख.नं. 59/1 रकबा 0.012 हे0 का भू अर्जन औद्योगिक प्रयोजन के लिये कया गया है तथा मुआवजा प्रकरण खेलकुमार पिता मोतिराम ग्राम जुर्डा के नाम से तैयार किया गया है। उक्त भूमि न्या.लोक अदालत /स्थाई एवं निरंतर लोक अदालक रायगढ़ के व्य.वा.क. 551/2013 के तहत भूमि राजीनामा के आधार पर प्रार्था गोकुल को प्राप्त हुई है ऐसी स्थिति मे मुआवजा प्रकरण गोकुल, नकुल पिता सुकरू के नाम से तैयार किया जाना उचित है।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. 59/1 रकबा 0.065 हे. में से रकबा 0.012 हे. भूमि भू अर्जन में प्रभावित नक्शा में प्रभावित नहीं हो रही है। उक्त भूमि को पूरक रेल लाईन में किया जावेगा।

64 गणेश ग्राम जुर्डा निवेदन है, कि आपके द्वारा उपरोक्त नोटिस भूमि अधिग्रहण किए जाने संबंधी भेजी गयी है जिसमें भूमिस्वामी का नाम मय वल्दियत चैतु पिता बुधू जाति भूईया दर्शाया जाकर नोटिस प्राप्त है। भूमि खसरा नं. 253/1 रकबा 0.263 हे0 भूमि अर्जित किय जाने का उल्लेख है चूकि उक्त चैतू पिता बुधू जाजि जाति भूइया का स्वर्गवास हो गया है तथा राजस्व प्रकरण में उक्त व्यक्ति का नाम फौती काटकर उसके स्थान पर मृतक के वारिसान गणेश वल्द बुडू, दिनेश पिता बुडू एवं दूरपति बेवा बुडु का नाम विधिवत अंकित किया गया है परन्तु इसका उल्लेख जारी नोटिस में नहीं किया गया है जिससे हमें आपत्ति है।. परोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू-अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू-अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अनुमान है।अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. 253/1 रकबा 1.416 हे. में से 0.263 हे. भूमि अधिग्रहित की जा रही है। अद्यतन अभिलेख अनुसार गणेश, दिनेश पिता बुडूराम, दुरपति बेवा बुडूराम जाति भूईया सा.देह भूमि स्वामीके नाम पर मुआवजा पत्रक तैयार किया गया है। भू अर्जन पत्रक अनुमोदित गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

65 जगतराम पिता कलपराम जाति रावत ग्राम जुर्डा निवेदन है कि प्रार्थी जगतराम पिता कलपराम जाति रावत, ग्राम जुर्डा प.ह.न. 19/38 तहसील व जिला–रायगढ़ का निवासी है तथा प्रार्थी का उक्त ग्राम में कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है जिसमें प्रार्थी का औद्योगिक प्रयोजन के तहत सर्वेक्षण किया गया है मौके पर खसरा नम्बर 565/3 रकबा 0.324 हे. भूमि भी प्रार्थी के सर्वेक्षण में लिया जाना है जो मौके पर सर्वेक्षण के समय प्रार्थी के नाम पर पाया गया परन्तु उसका उल्लेख उक्त प्रकरण में नहीं किया गया है उक्त भूमि का उल्लेख प्रार्थी के ऋण पुस्तिका में इन्द्राज है।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा नं. 565/3 से रकबा 0.008 हे. भूमि का रेल लाईन में प्रभावित नही हो रहा है। उक्त भूमि पूरक किया जावे।

66. जगतराम पिता कलपराम जाति रावत ग्राम जुर्डा 96. जयन्त किशोर प्रधान सरपंच ग्राम पंचायत जुर्डा

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

2. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू – अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

3. यह कि उक्त प्रतावित भू–अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रकियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामान्तरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रक्रिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साक्ष्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेश हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाशन पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू-अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाशन कराया गया जो न्याय संगत नहीं है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 4 (1) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम प.ह.नं. तह.व जिला रायगढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/12/2013 को प्रकाशन कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. /रकबा हे0 कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू–अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (Leps) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

8. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

9. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

10. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जवकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

13. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

1. संयुक्त स्थल जांच में भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

2. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

    1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
    2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
    3. स्थानीय समाचार पत्र रायगढ़ संदेश दिनांक 18/10/2015
    4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमी दिनांक 18/10/2015
    5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/10/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

3. ग्राम जुर्डा तह. रायगढ अंतर्गत है एवं आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत कोई भी आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ को नियत समय सीमा में प्राप्त नही हुई थी।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा..
—— (छत्तीसगढ)

5. नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समुचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित की जा चुकी है। ग्राम जुर्डा में प्रारंभिक अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 30.10.15 के अनुसार 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई थी।

6. ग्राम जुर्डा में पूर्व में भू – अर्जन की कार्यवाही नही हुई। आपत्तिकर्ता द्वारा कि गई आपत्ति अपूर्ण एवं असत्य है।

7. कमिश्नर बिलासपुर,संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना का सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है। इसका उल्लेख धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी किया गया है।

8. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6. एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

9 अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरुस्त कर कार्यवाही की जा रही है।

11. दिनांक 02.7.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.7.16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी है।

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन / ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

13. प्रकरण में नियमानुसार अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण पश्चात प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी कर सुना गया है।

67 समस्त ग्रामवासी जुर्डा उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत जुर्डा जो कि जिला मुख्यालय से लगा हुआ है (पूर्व दिशा में 5 किमी की दूरी पर स्थित) के भूमि बाजार मूल्य राजस्व निरिक्षक मण्डल रायगढ़ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अन्य गांवो से अत्यधिक कम आंका गया है जो संदेहास्पद है। चूंकि ग्राम जुर्डा जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद अन्य गांवो जैसे कि महापल्ली, कोतरलिया, सियारपाली आदि जो कि जिला मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग से दूर स्थित है की तुलना में भूमि का बाजार मूल्य बहुत कम है। यहां यह भी बात दें कि ग्राम का भूमि आस पास के सभी गावों से अपेक्षाकृत अधिक उपजाउ एवं किमती है। आप कृषि यहां अन्य गावों की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान एवं सब्जी का उत्पादन हो रहा है इसकी पुष्टी आप कृषि विभाग एवं कृषि मण्डी से भी कर सकते है। विदित हो कि ग्राम पण्डरीपानी (पू) एवं ग्राम जुर्डा एक ही पटवारी हल्का एवं आपस में जुड़े हुए ग्राम

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

पंचायत है किंतु दोनो गावों के भूमि के बाजार मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।वर्तमान में इस गांव से होकर एनटीपीसी की रेल्वे लाईन जा रही है, जिसके भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। अगर इन्ही दरों के आधार पर भू–अर्जन का मुआवजा दर दिया जाता है तो ग्रामवासियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है।अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 26 (1) (ख) के अंतर्गत भूमि के मूल्य का निर्धारण कर भूमि के बाजार मूल्य में जो विषमता है उसमें संशोधन कर उचित मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें।

संयुक्त स्थल जांच में ग्राम जुर्डा अधिग्रहित भूमि एवं परिसम्पत्ति का गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

68 हरप्रित सिंह गुजराल आ. भुपेन्द्र सिंह गुजराल दरोगापारा रायगढ़

1. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू– अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

2. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

3. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू – अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

4. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण में आता है। तथा टुकड़ा नक्शा का बटांकन विधिवत नहीं किया गया है।

5. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

6. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

7. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

8. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

9. यह कि दिनांक 26.06.2016 को धारा 21 भू अर्जन अधिनियम के तहत नोटीस प्रकासित किया जाता है। एवं 27.06.2016 को आपत्ति की सुनवाई हेतु नियत किया गया है। जो कि विधिक प्रकिया के विपरित है।

10. यह कि ग्राम जुर्डा के हल्का पटवारी के द्वारा आपत्तिकर्ता को बिना सूचना दिये मनमाने ढंग से नक्शा का बटांकन किया गया है। आपत्तिकर्ता के स्वामित्व कि भूमि ग्राम जुर्डा प.ह.नं. 19 तह. व जिला रायगढ़ में ख.नं. 564/2क रकबा 0.050 हेक्टयर भूमि उत्तर दिशा में विकेता महेश राम कि बचत भूमि दक्षिण में जीवर्धन पूर्व में रायल बिल्डर्स की भूमि है। किन्तु हल्का पटवारी के द्वारा आपत्तिकर्ता के अनुपस्थित में खसरा नं. 564/2क विभिन्न ख. मे बटांकन किया गया है। एवं पुनः हल्का पटवारी से उक्त खसरा के बटांकन कि जॉच करने कि कृपा करें।यदि आपत्तिकर्ता कि भूमि प्रभावित हो रही है। तो नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रवधानो के अनुसार मुआवजा व पुनर्वास लाभ दिलाया जावें। आपत्ति के साथ रजिसट्री की छाया प्रति संलग्न है।

1. संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गयाहै कि आपत्तिकार्ता का बिन्दु कमांक 1 से 10 तक निराकरण निम्न है :– नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित की जा चुकी है। ग्राम जुर्डा में प्रारंभिक अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 30.10.15 के अनुसार 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई थी।

2. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.,
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

3. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–
   1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
   2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई–राजपत्र – 2/10/2015
   3. स्थानीय समाचार पत्र रायगढ़ संदेश दिनांक 18/10/2015
   4. क्षेत्रिय समाचार पत्र हरिभूमी दिनांक 18/10/2015
   5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/11/2015

   उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

4. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरुस्त कर कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

6. कमिश्नर बिलासपुर,संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना का सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है। इसका उल्लेख धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी किया गया है।

7. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

8. दिनांक 02.7.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.7.16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी है।

9. धारा 21 के तहत आपत्ति की सुनवाई 27.06.2016 एवं 30.07.2016 को भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में नियमित प्रकिया का पालन करते हए की गई।

10. वर्तमान अद्यतन अभिलेख के अनुसार हरप्रित सिंह गुजराल आ. भुपेन्द्र सिंह की आवेदित भूमि ख.नं. 564/2 क रकबा 0.050 हे. एनटीपीसी रेल्वे लाईन में भू अर्जन हेतु प्रस्तावित नही है।

69. दाताराम पिता लेखराम जाति अघरिया यह कि अनावेदकगण के ग्राम जुर्डा प.ह.नं.38 स्थित अपने स्वामित्व की भूमि खसरा. न. 96/1 रकबा 0.028 हे. भूमि को सार्वजनि प्रयोजन अर्थात औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किये जाने का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अनावेदकगण खातेदार को अपने हित अधिकारी मुआवजा राशि भूमि पर अधिकार के फलस्वरूप मुआवजा में हित सम्बन्धि दावे तथा भूमि के परिमाप नस्ती सम्बन्धी अथवा आपत्ति मय अभिलेखों दस्तावेजो प्रमाणों के साथ 27.06.2016 को न्यायालय भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के समक्ष करने हेतु नोटिस प्रदाय किया गया है।

~~भू अर्जन अधिकारी~~
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

यह की अनावेदकगण के उपरोक्त उल्लेखित खसरा नं. के कुछ भागों पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है अनावेदक का एक मात्र आय का जरिया कृषि है तथा कृषि पर ही अपने परिवार का जीवन यापन करते है इस कारण उपरोक्त उल्लेखित भूमियों को भू अर्जन से मुक्त किया जावे अन्यथा उपरोक्त उल्लेखित खसरा नम्बरों के भोष बचत भूमि पर कोई भी कृषि कार्य हो पाना सम्भव नहीं है, इस कारण सम्पूर्ण भूमियों का भू अर्जन में शामिल कर भू अर्जन मुआवजा राशि दिया जाना न्यायोचित होगा। अनावेदकगणों को अपने आस पास स्थित ग्रामों के अनुसार मुआवजा दिया जावे। प्रभावित स्थलों में छोटी –छोटी अनेक वृक्ष है। जिसका जॉच किया जाकर मुआवजा राशि भुगतान किया जाना न्यायोचित होगा। अनावेदकगणों के अपने भूमियों का मुआवजा ग्राम जुर्डा स्थित आसपास के ग्रामे के मुआवजा अनुसार दिया जावे।

संयुक्त स्थल जांच में खसरा. न. 96/1 रकबा0.149 हे भूमि मे से रकबा 0.028 हे भूमि पर अधिग्रहित की जा रही के अतिरिक्त भूमि मे भू अर्जन में अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि पर वृक्ष स्थित नहीं होना पाया गया है। गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है।

(70) अधिग्रहित खसरा नं. 300 रकबा 2.784 हे. भूमि मे से स्थित रकवा 0.069 हे. भूमि तालाब भूमि को कलेक्टर रायगढ़ के मौखिक आदेशानुसार परिसंपत्ति मानकर मूल्यांकन किया गया है।

(71) आवेदक निकाय एवं तहसीलदार रायगढ़ के प्रतिवेदन में खसरा नं. 59/2 रकबा 0.012 हे.(2) ख.नं. 78/4 रकबा 0.081 हे (3) ख.नं. 342/2 रकबा 0.012 हे.भूमि को प्रभावित नही होने तथा आवेदक निकाय द्वारा अधिनियम की धारा 93 के तहत मुक्त किये जाने हेतु प्रतिवेदित किये जाने के कारण उक्त खसरा नं एवं रकबा छोडकर मुआवजा गणना पत्रक तैयार किया गया है।

(8) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दिनांक 02/01/2017 एवं पंचनामा दिनाँक 10/12/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदन मय पंचनामा प्राप्त हुआ। अधिग्रहित की जा रही भूमि का स्थल जांच कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का मुआवजा निर्धारिण निर्धारित वर्ष 2015–16 के गाईड –लाईन के अनुसार गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो आवर्ड आदेश का अंग है।

(9) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्याँकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर,औसत विक्रीछांट दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संशोधित) की दर से तुलना में गाईड लाईन की दर अधिक होने के फलस्वरूप गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर के अनुरूप मुआवजा का निर्धारण किया गया है। छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 02.10.2015 के अनुसार बजार मूल्य पर धारा 30(3) के अनुसार 12 प्रतिशत ब्याज की राशि (16 महिने) मूल्यांकन परिगणना कर पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ पत्रक तैयार किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015–16 की दर प्रति हे0 में.	विक्री छांट के अनुसार दर प्रति हे0 में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचत एक फसली	1032000/–	760546/–	800000/–
सिंचित एक फसली	1487000/–	760546/–	1000000/–
सिंचित दो फसली	1858750/–	760546/–	1000000/–

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

(क) भूमि का मुआवजा –

क्र.	अधिग्रहित भूमि का प्रकार	रकबा	गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राशि	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
1	असिंचत एक फसली	9.762	41909432/–	7424450/–	19715615/–	41909432/–
2	सिंचित एक फसली	0.605	3742482/–	460130/–	1494955/–	3742482/–
3	सिंचित दो फसली	5.405	41793644/–	4110751/–	13355755/–	41793644/–
	तालाब (परिसम्पत्ति)	0.069	–	–	–	–
	कुल योग	15.841	87445558	11995331	34566325	87445558

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा – रू. 1639235/–

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा – रू. 7235704/–

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) रू. 96320497 /–

(9) प्रकरण मे भू–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(10) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम **जुर्डा** की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरां नं. **128** कुल रकबा **15.841** हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रूपये **96320497**(अक्षरांक :– **नौ करोड़ तिरसठ लाख बीस हजार चार सौ सत्तानवे रूपये मात्र /–**)परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपति का मुआवजा गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.भाासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ–4–03/सात–1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू– अर्जन/2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ–4–28/सात–1/2014/दिनांक 04.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड –लाईन वर्ष 2015–16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

तद्नुसार प्रकरण में आवर्ड आदेश पारित किया जाता है।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

पृ. कमांक 395 /भू–अर्जन/2017, रायगढ़ दिनांक 08–03–2017

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, भू–अर्जन शाखा रायगढ़ को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड मुआवजा राशि **96320497**(अक्षरांक :– **नौ करोड़ तिरसठ लाख बीस हजार चार सौ सत्तानवे रूपये मात्र /–**)आर्डधारियों को भुगतान हेतु प्रदाय करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबधक,एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप कृपया अवार्ड आदेश अपलोड कराकर आवर्ड की प्रति संबंधित भूमिस्वामी को उपलब्ध करावें। प्रकरण में समय–सीमा के भीतर पूनर्वास अवार्ड की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। तथा पुनर्वास प्रतिवेदन गणना पत्रक के साथ शीघ्र प्रस्तुत करें।
4. उप पंजीयक रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. तहसीलदार रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित ।
6. राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.पुसौर को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।
7. प.ह.नं.38 को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषि।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)